

**महेश चंद्र वर्मा एवं अन्य
बनाम
झारखंड राज्य एवं अन्य
(सिविल अपील संख्या 6647/2012 आदि)
19 सितंबर, 2012**

[आफताब आलम एवं रंजना प्रकाश देसाई, न्यायाधीशगण]

न्यायपालिका:

फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) -अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट की नियुक्ति - झारखंड सुपीरियर न्यायिक सेवा में बार से नियमित संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी - 17 रिक्तियां उपलब्ध होने पर, चयन सूची में एसआई क्रमांक 1 से 17 तक के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई - तत्पश्चात एसआई से अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई। चयन सूची में क्रमांक 18 से 27 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट नियुक्त किया गया - इसके बाद, 15 और उम्मीदवारों को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में नियुक्त किया गया - बाद के 25 उम्मीदवारों की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में नियुक्ति को उप-न्यायाधीशों द्वारा चुनौती दी गई - निर्णय: 17 उम्मीदवारों की नियुक्ति के साथ, चयन सूची समाप्त हो गई और इसके साथ ही नियमित अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया समाप्त हो गई - जब झारखंड सुपीरियर न्यायिक सेवा में अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के नियमित पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, तब फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए पद स्वीकृत नहीं थे और न ही वे विचाराधीन थे - इसलिए, विज्ञापन फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए नहीं था और हो भी नहीं सकता था - अपूर्ण सूची का गलत तरीके से 10 फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उपयोग किया गया - इसके अलावा, असफल उम्मीदवारों की सूची - इन परिस्थितियों में, 02/02/2002 और 12/08/2002 को की गई नियुक्तियों को अनियमित माना जाता है, जो सेवा कानून में अंतर्निहित स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए, कानून मंत्रालय द्वारा व्यक्त की गई इच्छा का अनुपालन करने और लंबित मामलों की समस्या से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की व्यग्रता में की गई थी। - झारखंड सुपीरियर न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2001 - सुने जाने का अधिकार।

फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) - एफटीसी जजों की नियुक्ति - निर्णय: एफटीसी के पद अस्थायी, तदर्थ और एक्स-कैडर पद थे और ऐसे पदों पर नियुक्त लोगों को पदों पर कोई कानूनी अधिकार नहीं कहा जा सकता है - झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के लिए 2001 के नियम अस्थायी अवधि की योजना के तहत नियुक्त एडहॉक एडीजे पर लागू नहीं होते हैं जैसे

फास्ट ट्रैक कोर्ट स्कीम - अपीलकर्ताओं को एक्स-कैडर पदों पर अस्थायी अवधि के लिए नियुक्त किया गया था - केवल इसलिए कि उन्हें लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा देनी पड़ी, उनकी नियुक्तियों को मौलिक नियुक्तियां नहीं कहा जा सकता है और न ही

उनके द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति उनकी नियुक्तियों को मौलिक बना सकती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) - एफटीसी न्यायाधीश - नियमितीकरण - निर्णय: वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं के एफटीसी न्यायाधीशों का मामला बृज मोहन लाल-II में दिए गए निर्णय के अंतर्गत आता है - राज्य सरकार और उच्च न्यायालय बृज मोहन लाल-II में दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे, ताकि राज्य में उच्चतर न्यायिक सेवा में नियमित कैडर में अपीलकर्ताओं को बृज मोहन-II में निर्धारित तरीके से सख्ती से नियुक्त किया जा सके - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 142.

झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड सुपीरियर न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2001 के अनुसार बार से सीधी भर्ती द्वारा नियमित अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों (एडीजे) के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए 23.5.2001 को एक विज्ञापन जारी किया। चयन प्रक्रिया पूरी होने पर, 17 उम्मीदवारों को उच्च न्यायिक सेवा के नियमित संवर्ग में एडीजे के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद, मेरिट सूची के क्रम संख्या 18 से 27 तक के 10 उम्मीदवारों को अधिसूचना दिनांक 2.2.2002 द्वारा एडीजे, फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) के रूप में नियुक्त किया गया; और 15 और उम्मीदवारों को अधिसूचना दिनांक 12.8.2002 द्वारा एडीजे, एफटीसी के रूप में नियुक्त किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 से 35, जो राज्य की अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक सेवा में उप न्यायाधीश की श्रेणी से संबंधित थे, ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि बाद के 25 एडीजे, एफटीसी की नियुक्ति अवैध थी और इससे उनकी पदोन्नति के रास्ते प्रभावित हुए। उच्च न्यायालय की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि विज्ञापन के समय (यानी 23.05.2001) बिहार और झारखंड राज्य नए रूप से विभाजित हुए थे और कैडर की संख्या को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। उच्च न्यायालय झारखंड कैडर में और अधिक अधिकारियों के आबंटन की प्रतीक्षा कर रहा था। नए पद भी सृजन की प्रक्रिया में थे और इसलिए विज्ञापन में रिक्तियों की सही संख्या नहीं बताई गई थी। इसमें आगे कहा गया कि विज्ञापन की तिथि पर बार से सीधे एडीजे की नियुक्ति के लिए 13 स्पष्ट रिक्तियां मौजूद थीं उच्च न्यायालय ने रिट याचिका मंजूर कर ली। इससे व्यथित होकर कुछ एफटीसी के एडीजे ने अपील दायर की।

अपीलों का निपटारा करते हुए न्यायालय ने कहा: 1.1 दिनांक 23.5.2001 के विज्ञापन की महत्वपूर्ण विशेषताएं यह हैं कि यह एडीजे के पदों को भरने के लिए एक विज्ञापन था; विज्ञापन में रिक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया था और नियुक्तियों को झारखंड सुपीरियर न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2001 के अनुसार अंतिम रूप दिया जाना था। इस प्रकार, विज्ञापन एफटीसी न्यायाधीशों के लिए नहीं था और न ही हो सकता था। विज्ञापन में 2001 के नियमों का उल्लेख सही था क्योंकि वे सुपीरियर न्यायिक सेवा संवर्ग में नियमित नियुक्तियों से संबंधित हैं और विज्ञापन नियमित संवर्ग में एडीजे की नियुक्ति के लिए था। [पैरा 23) [36-जी-एच; 37-ए]

ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (2002) 4 एससीसी 247 = 2002 (2) एससीआर 712 - संदर्भित।

1.2 उच्च न्यायालय की ओर से दायर हलफनामे से ऐसा प्रतीत होता है कि इस बीच भारत सरकार से दिनांक 14/6/2001 का पत्र उच्च न्यायालय को प्राप्त हुआ, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना पर आवश्यक सामग्री भेजी गई थी। राज्यवार ब्यौरे में झारखंड राज्य के विरुद्ध 89 अतिरिक्त न्यायालय दर्शाए गए हैं। हालांकि, पद स्वीकृत नहीं किए गए थे। उच्च न्यायालय का मामला यह है कि उस समय उप-न्यायाधीश संवर्ग में केवल 70 अधिकारी ही उपलब्ध थे और ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट में पदों को सेवा संवर्ग से तदर्थ पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जा सकता था। उच्च न्यायालय के इस रुख पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। [पैरा 24] [37-बी-डी]

1.3 यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीशों के पद तभी सृजित किए गए थे, जब झारखंड सरकार ने दिनांक 29/11/2001 को अधिसूचना जारी की थी। इस प्रकार, जिस तिथि को 23/5/2001 का विज्ञापन जारी किया गया था, उस समय एफटीसी स्वीकृत भी नहीं थे और इसलिए वे उच्च न्यायालय की प्रत्याशा में भी नहीं थे। उच्च न्यायालय की ओर से दायर हलफनामे से यह स्पष्ट है कि सिफारिश की तिथि पर बार से सीधे नियमित एडीजे की नियुक्ति के लिए 17 रिक्तियां थीं। लिखित परीक्षा के बाद उक्त विज्ञापन के अनुसरण में मौखिक साक्षात्कार आयोजित किए गए। अक्टूबर, 2001 में उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायिक सेवा के लिए 27 उम्मीदवारों की एक चयन सूची तैयार की, जिसे 2001 के नियमों के नियम 21 के अनुसार विधिवत अधिसूचित किया गया। [पैरा 28-30] [38-जी-एच; 39-सीडी]

1.4 दिनांक 29/11/2001 की अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से 5 वर्ष के लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के 89 एफ.टी.सी. गठित किए। 14/12/2001 को राज्य द्वारा 20 पदोन्नत अधिकारियों को एक्स कैडर अस्थायी पदों पर एफ.टी.सी. न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। 15/12/2001 को 17 अभ्यर्थी जिनके नाम मेरिट सूची में क्रमांक 1 से 17 तक पाए गए, उन्हें उच्चतर न्यायिक सेवा के नियमित कैडर में ए.डी.जे. के रूप में नियुक्त किया गया। इन व्यक्तियों की नियुक्तियों में कोई त्रुटि नहीं हो सकती, क्योंकि शपथ पत्र में कहा गया है कि 17 स्पष्ट बी रिक्तियां थीं। [पैरा 31] (39-ई-जी)

2.1 02/02/2002 को मेरिट सूची के क्रमांक 18 से 27 तक के दस अभ्यर्थियों को एफटीसी जज के रूप में नियुक्त किया गया था। उच्च न्यायालय की ओर से दायर हलफनामे से पता चलता है कि 02/07/2002 को आयोजित पूर्ण न्यायालय की बैठक में राज्य में पहले से कार्यरत 30 एफटीसी के अतिरिक्त एफटीसी की अध्यक्षता करने के लिए एडीजे के शेष 45 पदों को भरने का संकल्प लिया गया था। तीस पद उप-न्यायाधीशों से पदोन्नति द्वारा और 15 नियमित जिला न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया के दौरान तैयार पैनल से सीधी भर्ती द्वारा होने थे। 12/08/2002 को एक्स-कैडर पदों पर तदर्थ आधार पर बार से 15 व्यक्तियों को एफटीसी जज के रूप में नियुक्त किया गया था। इन 15 व्यक्तियों के नाम 23/05/2001 के विज्ञापन के अनुसरण में उच्च न्यायालय द्वारा तैयार चयन सूची में स्थान नहीं पाते हैं। [पैरा 32] (39-ई जी-एच; 40-ए-सी)

2.2 चूंकि 2001 के नियमों के अनुसार 27 व्यक्तियों की चयन सूची विधिवत अधिसूचित की गई थी, इसलिए क्रमांक 1 से 17 तक के अभ्यर्थियों को 15.12.2001 को नियमित एडीजे के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद चयन सूची अंततः समाप्त हो गई, क्योंकि उच्च न्यायालय की ओर से दायर हलफनामे के अनुसार, यद्यपि विज्ञापन में रिक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया था, अनुशंसा की तिथि अर्थात् 20/10/2001 को एडीजे के 17 पद उपलब्ध थे। 17 नियमित एडीजे की नियुक्ति पर, नियमित एडीजे की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया समाप्त हो गई। अपूर्ण चयन सूची का गलत तरीके से 10 एफटीसी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उपयोग किया गया। नियमित एडीजे के पदों पर भर्ती के लिए तैयार चयन सूची के व्यक्तियों को एफटीसी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। पुनः, असफल अभ्यर्थियों की सूची में से 15 व्यक्तियों को एफटीसी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उनके नाम चयन सूची में नहीं थे। पूरी प्रक्रिया अनियमित थी। [पैरा 33 और 39] [40-डी-एफ; 43-एफ]

राखी रे बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय 2010 (2) एससीआर 239 = 488 (2010) 2 एससीसी 637; और सुरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1997 (3) अनुपूरक एससीआर 538 = (1997) 8 एससीसी - पर भरोसा किया गया।

3.1 यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ताओं की नियुक्ति 2001 के नियम 4(ए) के तहत की गई थी या वे इसके नियम 25 का लाभ उठा सकते हैं। 2001 के नियम और नियम जो झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के लिए हैं, वे फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी अस्थायी अवधि की योजना के तहत नियुक्त तदर्थ एडीजे पर लागू नहीं होते हैं। 2001 के नियमों को एफटीसी पर लागू करने के लिए संशोधित नहीं किया गया था। अपीलकर्ताओं को अस्थायी अवधि के लिए एक्स-कैडर पदों पर नियुक्त किया गया था। यह उनके नियुक्ति पत्रों से स्पष्ट है। इसलिए, उनकी नियुक्तियाँ 2001 के नियमों के अंतर्गत नहीं थीं। केवल इसलिए कि उन्हें लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा देनी पड़ी, उनकी नियुक्तियों को मौलिक नियुक्तियाँ नहीं कहा जा सकता और न ही उनके द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति उनकी नियुक्तियों को मौलिक बना सकती है। [पैरा 33] [41-सी-एफ]

3.2 फिर भी, उच्च न्यायालय का निर्णय, चाहे कितना भी अनुचित क्यों न हो, किसी भी तरह से दुर्भावना से प्रेरित नहीं कहा जा सकता। उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय संकल्प और मुख्य न्यायाधीश के विधि मंत्रालय के साथ पत्राचार भी संकेत देते हैं कि उच्च न्यायालय राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना को क्रियान्वित करने में अक्षम था, क्योंकि कई कठिनाइयाँ थीं, जिनमें प्रमुख थीं काडर विभाजन पूरा न होना और सेवा कैडर से अधिकारियों की अनुपलब्धता। उच्च न्यायालय ने केंद्रीय विधि मंत्रालय की इच्छा का पालन करने का सद्भावपूर्वक प्रयास किया और इसमें उसने अपनी सीमाएँ लांघ दीं। [पैरा 34] [42-बी-डी]

3.3 इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि 02/02/2002 और 12/08/2002 को की गई नियुक्तियाँ अनियमित हैं, सेवा कानून में अंतर्निहित स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए, कानून मंत्रालय द्वारा व्यक्त की गई इच्छा का अनुपालन करने और लंबित मामलों की समस्या से निपटने के लिए एफटीसी स्थापित करने की उत्सुकता में की गई हैं। [पैरा 34] [42-ई-एफ]

ब्रिज मोहन लाल बनाम भारत संघ और अन्य (ब्रिगेड मोहन लाल) (2002) 5 एससीसी 1=2002 (3) एससीआर 810 और ब्रिज मोहन लाल बनाम भारत संघ और अन्य। (बृज मोहन लाल-(II) (2012) 6 एससीसी 502- पर भरोसा किया गया।

केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड एवं अन्य बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली एवं अन्य एआईआर (1986) एससी 1571 = 1986(2) एससीआर 278; ओ.पी. सिंग/ए बनाम भारत संघ (1984) 4 एससीसी 450=1985 (1) एससीआर 351; रुद्र कुमार सैन बनाम भारत संघ (2000) 8 एससीसी 25= 2000 (2) अनुपूरक एससीआर 573 और गणेश राव पटनायक बनाम झारखंड राज्य (2005) 8 एससीसी 454=2005 (4) अनुपूरक एससीआर 102; नसीम अहमद एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2011) 2 एससीसी 734= 2010 (14) एससीआर 822; प्रेम सिंह बनाम हरियाणा राज्य (1996) 4 एससीसी 319=1996 (2) सप्लीमेंट एससीआर 401 और जम्मू और कश्मीर राज्य एवं अन्य बनाम संजीव कुमार एवं अन्य (2005) 4 एससीसी 148=2005 (2) एससीआर 400- को लागू नहीं माना गया।

4.1 बृज मोहन लाल-II में, इस न्यायालय ने पूरे मामले पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करने के बाद यह माना है कि एफटीसी पद अस्थायी और एक्स-कैडर पद थे और नियुक्त किए गए लोगों को इन पदों पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस स्थापित स्थिति को फिर से नहीं खोला जा सकता। [पैरा 43 और 47] [44-एफ; 46-एफ]

4.2 बृज मोहन लाल-II में इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार न्याय प्रदान करने की प्रणाली में सुधार लाने, संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा पूर्ण न्याय करने के लिए कुछ निर्देश दिए हैं। इनमें से एक निर्देश एफटीसी न्यायाधीशों को उसमें निर्धारित तरीके से नियमित करने से संबंधित है। इस न्यायालय ने पाया कि यदि एफटीसी तदर्थ सीधी भर्ती वाले, जिन्होंने वर्षों से बहुत अधिक न्यायिक अनुभव प्राप्त किया है, को नियमित किया जाता है तथा विभिन्न राज्यों में एडीजे के नियमित कैडर में समाहित किया जाता है, तो लंबित मामलों की समस्या कुछ हद तक हल हो सकती है। बार से एफटीसी न्यायाधीश के रूप में सीधे नियुक्त किए गए नियुक्तियों के दावे पर विचार करते हुए, उनकी सेवाओं के नियमितीकरण तथा नियमित कैडर में समाहित किए जाने पर, इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ताओं को नियमितीकरण/समाहित करने की राहत उस तरीके से नहीं दी जा सकती, जिस तरीके से उन्होंने प्रार्थना की है। उन्हें इस पद पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें केवल साक्षात्कार के आधार पर नियुक्त किया गया था, इसलिए उन्हें अपेक्षित परीक्षा से गुजरना होगा। यह स्पष्ट करते हुए कि उसका भारत संघ द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था, इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कुछ निर्देश दिए, जैसा कि तत्काल निर्णय में उद्धृत किया गया है। यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं का मामला उक्त निर्णय द्वारा शासित नहीं है। वास्तव में, अपीलकर्ताओं ने प्रथम ट्रेक कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपनी लंबी सेवाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने बार में अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी है। उनमें से कुछ की आयु समाप्त हो गई है। बृज मोहन लाल- II इस शिकायत पर विचार करता है। जहां तक अपीलकर्ताओं जैसे व्यक्तियों का संबंध है, जिन्हें बार से सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया जाता है,

इस न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि वे बृज मोहन लाल- II में दिए गए तरीके से नियमित कैडर में नियुक्त होने के हकदार होंगे। [पैरा 43, 44, 48 और 49] [45-ए; 48-ई; 45-सी; 49-बी]

4.3 निस्संदेह, अपीलकर्ताओं को किसी स्थायी पद पर नियुक्त नहीं किया गया था। उनकी नियुक्ति की अधिसूचना दिनांक 12/08/2002 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उन्हें तदर्थ आधार पर अस्थायी और एक्स-कैडर पदों पर नियुक्त किया गया था। उन्हें 2001 के नियमों के तहत नियुक्त नहीं किया गया था। उनकी नियुक्ति मामलों के त्वरित निपटान के लिए बनाई गई एक अस्थायी योजना में अस्थायी उद्देश्य के लिए की गई थी। इसलिए, उनका मामला स्पष्ट रूप से बृज मोहन लाल-II के अंतर्गत आता है। इसमें दिए गए निर्देश, विशेष रूप से तत्काल निर्णय में उद्धृत पैराग्राफ 207.9 में निहित निर्देश स्पष्ट रूप से उन पर लागू होंगे। बृज मोहन लाल-II में, इस न्यायालय ने इस दलील पर भी विचार किया कि सीधी भर्ती वाले लोगों ने सभी परीक्षाएँ दे दी हैं और इसलिए, उन्हें फिर से नहीं देना चाहिए, और निर्देश दिया कि उन्हें लिखित परीक्षा देनी होगी और उनका साक्षात्कार भी होना चाहिए। इस स्तर पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से यह कथन दिया गया है कि झारखंड राज्य द्वारा आवश्यक पदों/प्रथम टैक न्यायालयों के सृजन के अधीन, उच्च न्यायालय बृज मोहन लाल-II में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार अपीलकर्ताओं के मामले पर नए सिरे से विचार करेगा। उच्च न्यायालय ने इस मामले को राज्य सरकार के समक्ष भी उठाया है। [पैरा 50] [52-बी-ई]

4.4 झारखंड राज्य को अब बृज मोहन लाल-II में जारी निर्देशों का पालन करने के लिए कदम उठाने होंगे, यदि उसने अब तक उनका पालन नहीं किया है। राज्य सरकार और उच्च न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय में काम करना होगा कि उच्च न्यायिक सेवा में नियमित संवर्ग में अपीलकर्ताओं को नियुक्त करने के निर्देशों का बृज मोहन लाल-II में निर्धारित तरीके से सख्ती से पालन किया जाए। [पैरा 51] [53-सी]

4.5 प्रतिवादी प्रतिवादियों की शिकायत कि यदि अपीलकर्ताओं को नियमित संवर्ग में शामिल किया जाता है, तो उनके पदोन्नति के रास्ते प्रभावित होंगे या उन्हें आर्थिक नुकसान होगा, बृज मोहन लाल-II के मद्देनजर विचार नहीं किया जा सकता है। बृज मोहन लाल-II में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए हैं और निर्देश जारी करते समय, स्पष्ट रूप से इस न्यायालय ने पूरे मुद्दे पर अपने उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया है। यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत है और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। राज्य सरकार और उच्च न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वे बृज मोहन लाल-II में निर्धारित तरीके से राज्य में उच्चतर न्यायिक सेवा में नियमित कैडर में अपीलकर्ताओं को नियुक्त करने के निर्देशों का सख्ती से पालन करें। [53-डी-जी]

बी प्रभाकर राव एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य 1985 (सप्ल) एससीसी 432= 1985 सप्ल. एससीआर 573; हरि बंश लाल बनाम सहादर प्रसाद महट्टा एवं अन्य (2010) 9 एससीसी 655= 2010 (10) एससीआर 561; नरेन्द्र चंदा एवं

अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (1986) 2 एससीसी 157= 1986 (1) एससीआर 211; एन.के. चौहान एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य (1977) 1 एससीसी 308= 1977 (1) एससीआर 1037; जी.एस. लांबा एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (1985) 2 एससीसी 604= 1985 (3) एससीआर 431; सत्य नारायण सिंह बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं अन्य (1985) 1 एससीसी 225= 1985 (2) एससीआर 112; सुषमा सूरी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य (1999) 1 एससीसी 330= 1998 (2) अनुपूरक एससीआर 187; सतीश कुमार शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल (2001) 2 एससीसी 365= 2001 (1) एससीआर 34; हेमानी मल्होत्रा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय (2008) 7 एससीसी 11=2008 (5) एससीआर 1066; उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम सत्य नारायण शिवहरे एवं अन्य (2009) 5 एससीसी 473= 2009 (4) एससीआर 491; रविंदर कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। (2010) 5 एससीसी 136= 2010 (5) एससीआर 116; भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बनाम कृष्ण कुमार विज और अन्य। (2010) 8 एससीसी 701= 2010 (10) एससीआर 462; गिरजेश श्रीवास्तव और अन्य। बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य। (2010) 10 एससीसी 707= 2010 (12) एससीआर 839; सचिव ए.पी. लोक सेवा आयोग बनाम वाई.वी.वी.आर. श्रीनिवासु/यू और अन्य। (2003) 5 एससीसी 341= 2003 (3) एससीआर 742; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जोहरी मल (2004) 4 एससीसी 714= 2004 (1) अनुपूरक एससीआर 560; मलिक मजहर सुल्तान एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य (2006) 9 एससीसी 507= 2006 (3) एससीआर 689; बिहार राज्य बनाम मदन मोहन (1994) अनुपूरक (3) एससीसी 308= 1993 (3) अनुपूरक एससीआर 242; श्रीमती के. लक्ष्मी बनाम केरल राज्य (2012) 4 एससीसी 115; अरूप दास बनाम असम राज्य 2012 (5) एससीसी 559 -उद्धृत

केस लॉ संदर्भ:

2010 (10) एससीआर	561 उद्धृत पैरा 9
1986 (1) एससीआर	211 उद्धृत पैरा 13
1977 (1) " एससीआर	1037 उद्धृत पैरा 13
1985 (3) एससीआर	431 उद्धृत पैरा 13
1985 (2) एससीआर	112 उद्धृत पैरा 13
1998 (2) अनुपूरक एससीआर	187 उद्धृत पैरा 13
2001 (1) एससीआर	34 उद्धृत पैरा 13
2008 (5) एससीआर	1066 उद्धृत पैरा 14
2009 (4) एससीआर	491 उद्धृत पैरा 14
2010 (5) एससीआर	116 उद्धृत पैरा 14
2010 (10) एससीआर	462 उद्धृत पैरा 14
2010 (12) एससीआर	839 उद्धृत पैरा 14
2003 (3) एससीआर	742 पैरा 16 का हवाला दिया

2004 (1) अनुपूरक एससीआर	560 पैरा 17 का हवाला दिया
2006 (3) एससीआर	689 पैरा 17 का हवाला दिया
1993 (3) अनुपूरक एससीआर	242 पैरा 18 का हवाला दिया
(2012) 4 धारा	115 पैरा 18 का हवाला दिया
2012 (5) धारा	559 पैरा 18 का हवाला दिया
2002 (3) एससीआर	810 पैरा 35 पर निर्भर था
(2012) 6 धारा	502 पैरा 35 पर निर्भर था
1986 (2) एससीआर	278 लागू नहीं पैरा 37
1985 (1) एससीआर	351 लागू नहीं पैरा 38
2000 (2) अनुपूरक एससीआर	573 लागू नहीं पैरा 38
2005 (4) अनुपूरक एस.सी.आर.	102 अनुप्रयोज्य पैरा 38
2010 (14) एस.सी.आर.	822 अनुप्रयोज्य पैरा 39
1996 (2) अनुपूरक एस.सी.आर.	401 अनुप्रयोज्य पैरा 40
2005 (2) एस.सी.आर.	400 अनुप्रयोज्य पैरा 40

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 6647/2012

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के दिनांक 07.03.2011 के निर्णय एवं आदेश से, सिविल रिट याचिका संख्या 2872/2009.

साथ में

सी.ए. संख्या 6648 एवं 6649/2012.

निदेश गुप्ता, कमल नयन चौबे, अमरेंद्र शरण, सुनील कुमार, विजय हंसारिया, के.के. राय, अजीत कुमार सिन्हा, अमित कुमार, अतुल कुमार, आशीष कुमार, रेखा, बख्शी, ऋतुराज कुमार, अनिल कुमार, ऋतु प्रियदर्शनी, मधुस्मिता बोरा, शिव राम शर्मा, स्वीटी सिंह, अर्चना कुमारी, एन बत्राय, टी.एन. सिंह, वी.के. सिंह, एच.एल. श्रीवास्तव, जयेश गौरव, छाया कुमारी, (अनिल के. झा के लिए), स्नेहा कालिया, अखिलेश कुमार

उपस्थित दलों के लिए पांडे, अजय अमृत राज, राजीव सिंह, शिव राम शर्मा, आशा गोपालन नायर, अंबोज कुमार सिन्हा।

न्यायालय का निर्णय -

न्यायमूर्ति (श्रीमती) रंजना प्रकाश देसाई द्वारा सुनाया गया। 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. ये अपीलें, विशेष अनुमति द्वारा, झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 07/03/2011 को दिए गए निर्णय के विरुद्ध निर्देशित हैं। इनमें कानून और तथ्यों के समान प्रश्न शामिल हैं और इसलिए इनका निपटारा एक ही निर्णय द्वारा किया जा सकता है। इन अपीलों में अपीलकर्ताओं को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में नियुक्त किया गया था। वे बार से सीधे भर्ती हुए हैं। उच्च न्यायालय ने झारखंड राज्य के अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा किया, जिसमें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (संक्षेप में, "एडीजे"), फास्ट ट्रैककोर्ट (संक्षेप

में, "एफटीसी") के पदों पर अपीलकर्ताओं की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ताओं ने, अन्य बातों के साथ-साथ, दावा किया कि वे एडीजे के रूप में नियुक्त किए जाने के योग्य थे और वे अपीलकर्ताओं की नियुक्ति के कारण मौद्रिक दृष्टि से और साथ ही अपने भविष्य के पदोन्नति के अवसरों के संदर्भ में सीधे प्रभावित व्यक्ति हैं। उन्होंने यह घोषित करने की मांग की कि 23/5/2001 के विज्ञापन के अनुसार एडीजे, एफटीसी के पद पर अपीलकर्ताओं की नियुक्ति के लिए पूरी चयन प्रक्रिया अवैध है। उन्होंने प्रार्थना की कि 2/2/2008 और 12/8/2002 की अधिसूचनाएँ जिनके द्वारा अपीलकर्ताओं की नियुक्ति की गई थी, उन्हें रद्द कर दिया जाए। वे इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी हैं। उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय द्वारा रिट याचिका को अनुमति दे दी।

3. इन अपीलों में शामिल मुद्दों की बेहतर समझ के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी 5 से 35 के मामले को बताना आवश्यक है।

15/11/2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 पारित किया गया, जिसके तहत बिहार राज्य से झारखंड राज्य बनाया गया। 22/02/2001 की अधिसूचना द्वारा, 90 वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों (एडीजे और जिला न्यायाधीश) को बिहार राज्य से झारखंड राज्य में स्थानांतरित किया गया। इन 90 न्यायिक अधिकारियों में से 62 पदोन्नत और 28 सीधी भर्ती वाले थे। 10/05/2001 को झारखंड के राज्यपाल ने उच्च न्यायालय के परामर्श से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के साथ अनुच्छेद 233 के तहत झारखंड उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2001 तैयार किए ("संक्षिप्तता के लिए 2001 के नियम")। नियम 9 में झारखंड राज्य में एडीजे के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार है:

"9. पात्रता: कोई भी अभ्यर्थी इन नियमों के अंतर्गत अपर जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा, यदि:-

(क) वह परीक्षा आयोजित करने वाले वर्ष से पहले जनवरी के अंतिम दिन 35 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से कम आयु का हो; बशर्ते कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थी के मामले में ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जा सकती है;

(ख) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अधिवक्ता के रूप में नामांकन के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक हो;

(ग) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत विधिवत नामांकित होने के पश्चात अधिवक्ता के रूप में बार में सात वर्ष से अधिक का अनुभव हो;

(घ) उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, उसका नैतिक चरित्र अच्छा हो और वह नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी प्रकार के आपराधिक मामले में शामिल या उससे संबंधित न हो।"

4. सभी तथ्यों को अभिलेख पर लाने के लिए, यहां यह बताना आवश्यक होगा कि नियम 2001 के नियम 5 को 20/08/2004 को संशोधित किया गया था, जिसके तहत विभिन्न स्रोतों से प्रतिशत को अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1 में इस न्यायालय के निर्देश के अनुसार संशोधित किया गया था और

इसे पदोन्नति द्वारा 50%, सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति द्वारा 25% और सीधी भर्ती द्वारा 25% निर्धारित किया गया था।

5. झारखंड उच्च न्यायालय ने 23/05/2001 को एडीजे के पद पर रिक्तियों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया। निर्धारित पात्रता मानदंड निम्नानुसार थे:

"(i) योग्यता - अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत अधिवक्ता के रूप में नामांकन के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक।

(ii) आयु - 31 जनवरी, 2001 तक 35 वर्ष से अधिक, लेकिन 45 वर्ष से कम। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी गई है।

(iii) अनुभव - विधिवत् नामांकित होने के बाद बार में अभ्यासरत अधिवक्ता के रूप में 7 वर्ष से अधिक का अनुभव।"

6. हालांकि, विज्ञापन में यह खुलासा नहीं किया गया कि एडीजे के नियमित कैडर में कितने पदों को भरा जाना है। रिक्तियों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था। 19/08/2001 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें लगभग 4,000 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। 20/09/2001 को मौखिक साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के योग्य सफल उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की गई थी। सूची में मेरिट क्रम संख्या 134 तक के उम्मीदवारों के नाम शामिल थे।

7. प्रतिवादियों के अनुसार साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या विधिक रूप से मान्य अनुपात से कहीं अधिक थी। अंततः जिन अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में थे, उनमें से 17 अभ्यर्थियों को उच्चतर न्यायिक सेवा के नियमित संवर्ग में एडीजे के पद पर नियुक्त किया गया। नियुक्ति पत्र जारी होने पर विज्ञापन दिनांक 23/05/2001 के अनुसार चयन प्रक्रिया समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन मेरिट सूची के क्रमांक 18 से 27 तक के 10 अभ्यर्थियों को एफटीसी न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। प्रतिवादियों द्वारा ऐसा कोई पैनल कभी प्रकाशित नहीं किया गया। अगस्त, 2002 में बिना किसी विज्ञापन के 12/08/2002 की अधिसूचना के तहत बार से 15 व्यक्तियों को एफटीसी न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। इन व्यक्तियों के नाम उच्च न्यायालय द्वारा विज्ञापन दिनांक 23/05/2001 के अनुसार तैयार की गई चयन सूची में नहीं थे। फरवरी और अगस्त, 2002 में बार के सदस्यों में से सीधी भर्ती के माध्यम से एफटीसी में 10 और 15 एडीजे की बाद की नियुक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित निष्पक्षता, समानता और निष्पक्ष व्यवहार के नियमों का उल्लंघन थीं। वे इस न्यायालय द्वारा बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ और अन्य (ब्रिगेडियर मोहन लाल-1) में दिए गए निर्देशों का भी उल्लंघन थे। प्रतिवादियों ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (एस) संख्या 5613/2001 में दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया था कि 18/10/2001 को आयोजित बैठक में उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने एफटीसी में एडीजे के रूप में नियमित नियुक्ति के लिए 17 उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की थी। झारखंड राज्य में एफटीसी का गठन 29/11/2001 की अधिसूचना के अनुसार किया गया था। लेकिन एफटीसी के गठन से पहले ही अक्टूबर, 2001 में गैर-

मौजूद पदों पर नियुक्तियों के लिए 10 नामों की सिफारिश की गई थी। 23/05/2001 को जब विज्ञापन जारी किया गया था, तब फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना प्रचलन में नहीं थी। एडीजे, एफटीसी के रूप में नियुक्त किए गए कुछ लोग दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, "संहिता") की धारा 25 के अनुसार सहायक लोक अभियोजक के रूप में काम कर रहे थे। उन्हें एडीजे के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता था क्योंकि वे अधिवक्ता अधिनियम की धारा 2 (1) (ए) के अर्थ में अधिवक्ता नहीं थे और उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने बार में 7 वर्ष से अधिक का अनुभव होने की अनिवार्य पात्रता मानदंड को पूरा किया है। पात्रता मानदंड तय करते समय, 2001 के नियम 9 (ए) का उल्लंघन किया गया था। जिन उम्मीदवारों की आयु पिछले वर्ष की जनवरी के अंतिम दिन 35 वर्ष से अधिक नहीं थी, जिसमें परीक्षा आयोजित की गई थी, उनका चयन किया गया। यह तर्क दिया गया कि यद्यपि भविष्य में नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करने का कोई प्रावधान नहीं था, फिर भी एक पैनल तैयार किया गया।

8. प्रतिवादी 3 से 30 के मामले में उच्च न्यायालय ने पक्ष लिया। उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह माना कि 23/05/2001 के विज्ञापन के अनुसार बार के सदस्यों को जो नियुक्तियाँ दी गई थीं, वे एडीजे के लिए थीं। उस दिन, जो भी पद विद्यमान थे या विचाराधीन थे, उन्हें चयन का विषय बनाया जा सकता था। उस दिन, उन पदों के लिए राज्य सरकार से कोई मंजूरी नहीं थी, इसलिए, वे पद विचाराधीन रिक्तियाँ नहीं थीं, जिन्हें प्रश्नगत विज्ञापन द्वारा कवर किया जा सकता था। उच्च न्यायालय ने देखा कि अपीलकर्ताओं को एक अस्थायी उद्देश्य और एक अस्थायी अवधि के लिए बनाए गए एक्स-कैडर पदों पर नियुक्त किया गया था, जो कि 2001 के नियमों का प्रमुख उद्देश्य नहीं था। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि स्पष्ट रिक्तियों और प्रत्याशित रिक्तियों के लिए भी आवश्यकता और विज्ञापन के माध्यम से चयन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, लेकिन भविष्य की रिक्तियों के लिए नहीं। इस मामले में ठीक यही किया गया। उच्च न्यायालय ने, परिस्थितियों में, नियुक्तियों को रद्द कर दिया।

9. अपीलकर्ताओं के वकील ने उच्च न्यायालय के आदेश की कड़ी आलोचना की है। कुल मिलाकर वकील इस बात पर एकमत हैं कि इस पर क्या आपत्ति की गई है। इसलिए हम इस मामले को दोहराने से बचेंगे। वकील के तर्कों को दर्शाते हुए लिखित दलीलें दाखिल की गई हैं। हम उनका सार प्रस्तुत करेंगे। कुछ अपीलकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चौबे ने दलील दी कि अपीलकर्ताओं को 2001 के नियम 4 (ए) के तहत नियुक्त किया गया है। इसके नियम 25 पर भारी निर्भरता रखते हुए उन्होंने दलील दी कि अपीलकर्ता 17 नियुक्तियों की पहली सूची के बराबर माने जाने के हकदार हैं। वकील ने दलील दी कि अपीलकर्ताओं ने एक दशक पहले ही प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और अभिविन्यास पाठ्यक्रम सहित कठोर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। जिन 17 लोगों ने यह पाठ्यक्रम पूरा किया है, वे कैडर में जिला न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे हैं। वकील ने दलील दी कि इसलिए अपीलकर्ताओं को कोई और परीक्षा नहीं देनी चाहिए। सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली; ओ.पी. सिंगला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया; रुद्र कुमार सैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और डी. गणेश राव पटनायक बनाम झारखंड राज्य के मामले पर भरोसा करते हुए

वकील ने कहा कि अपीलकर्ता वही कर्तव्य निभा रहे हैं जो नियमित एडीजे निभा रहे हैं। इसलिए उन्हें एक्स-कैडर, अस्थायी या तदर्थ के रूप में वर्णित करना अनुचित है। अपीलकर्ताओं ने एक ही मुद्दे को नहीं उठाया क्योंकि उनके नाम लगातार वरिष्ठता सूची में दिखाए गए थे। वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं को प्रत्याशित और परिकल्पित रिक्तियों पर नियुक्त किया गया था और उनकी नियुक्तियां कानूनी थीं। वकील ने कहा कि आरोपित निर्णय निर्दिष्ट रिक्तियों से संबंधित केस कानूनों पर आधारित है। इसलिए आरोपित निर्णय को रद्द किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने में अत्यधिक देरी और परेशानी हुई है और केवल इसी आधार पर उच्च न्यायालय को याचिका खारिज कर देनी चाहिए थी। उच्च न्यायालय के आचरण के बारे में वकीलों की आलोचना तीखी थी। यह प्रस्तुत किया गया कि दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने कार्यवाही के विभिन्न चरणों में टालमटोल और यहां तक कि असंगत रुख अपनाने का विकल्प चुना है। इस संबंध में वकील ने बी. प्रभाकर राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य तथा हरि बंश लाल बनाम सहादर प्रसाद महतो और अन्य का हवाला दिया। अंत में, वकील ने प्रस्तुत किया कि बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ और अन्य (बृज मोहन लाल- (II)) के आलोक में, अपीलकर्ताओं की सेवाओं को नियमित किया जाना चाहिए।

10. कुछ अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री शर्मा ने कहा कि दस्तावेजों से, जिनकी प्रतियां उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत की गई हैं और झारखंड राज्य के प्रस्तुतीकरण से भी यह स्पष्ट है कि एफटीसी की रिक्तियों का अनुमान और परिकल्पना की गई थी और अपीलकर्ता 23/05/2001 के विज्ञापन के अनुसरण में आयोजित परीक्षा प्रक्रिया की चयन सूची में थे। 17 के पहले लॉट की नियुक्ति के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं कही जा सकती क्योंकि एफटीसी न्यायाधीशों के पद अभी भी भरे जाने थे और पैनल एक वर्ष के लिए वैध था। वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय का कभी यह इरादा नहीं था कि नियुक्तियां कैडर-बाह्य नियुक्तियां होंगी। उच्च न्यायालय द्वारा जारी चयन पत्रों में कहा गया है कि अपीलकर्ताओं के नाम एडीजे के रूप में नियुक्ति के लिए झारखंड सुपीरियर न्यायिक सेवा की चयन सूची में शामिल किए गए हैं चयन पत्रों में आगे कहा गया है कि नियुक्तियां जारी रहने की संभावना है और पहली बार में उन्हें एफटीसी के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। वकील ने कहा कि चयन पत्रों से यह स्पष्ट है कि नियुक्तियां शुरू में तदर्थ थीं, लेकिन जारी रहने की संभावना थी और वास्तव में, ये मूल नियुक्तियां थीं।

11. अधिवक्ता ने बताया कि एफटीसी के पदों के सृजन की अधिसूचना में यह नहीं लिखा है कि ये पद एक्सकैडर पद होंगे। नियुक्तियों की अधिसूचना जिसमें एक्सकैडर शब्द का उल्लेख है, बाद में जारी की गई थी। अपीलकर्ताओं ने अपनी नौकरी छोड़ दी है, ओरिएंटेशन कोर्स में भाग लिया है और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया है। अधिवक्ता ने आग्रह किया कि इस न्यायालय को नियुक्ति के नियमों, नियुक्ति के तरीके और नियुक्त व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए, न कि नियुक्ति पत्रों में होने वाली तैनाती के बाद के नामकरण के अनुसार, जो नियोक्ता के अनन्य क्षेत्राधिकार में आते हैं, जिसके विरुद्ध नियुक्त व्यक्तियों के पास कोई सौदेबाजी की शक्ति नहीं होती।

12. अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं का मामला उन एफटीसी न्यायाधीशों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है, जो बृज मोहन लाल-II में इस न्यायालय के समक्ष थे, क्योंकि उन एफटीसी को नियमित एडीजे के लिए नियमों में निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने के बाद नियुक्त नहीं किया गया था। उनकी नियुक्तियां विशेष योजनाओं के तहत की गई थीं। उन्हें या तो सरसरी लिखित परीक्षा देने के बाद साक्षात्कार के बाद या केवल साक्षात्कार के आधार पर नियुक्त किया गया था और उनमें से किसी ने भी ओरिएंटेशन कोर्स नहीं किया था। अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में अपीलकर्ताओं का चयन नियमित एडीजे की नियुक्ति के लिए 2001 के नियमों में दी गई विस्तृत प्रक्रिया के बाद किया गया था। सत्र परीक्षण के अलावा, वे सिविल अपील, आपराधिक अपील, पुनरीक्षण और एमएसीटी मामलों आदि का काम भी कर रहे थे। चयन की उसी प्रक्रिया से गुजरने वाले 17 अधिकारी अभी भी सेवा में हैं और चयन ग्रेड में जिला न्यायाधीश के पद पर हैं। इसलिए, अपीलकर्ताओं को उनकी पुष्टि के लिए लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षा देना उचित नहीं होगा। अधिवक्ता ने कहा कि इस अदालत को झारखंड राज्य और झारखंड उच्च न्यायालय को सभी परिणामी लाभों के साथ अपीलकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश देना चाहिए।

13. अपीलकर्ता संजय कुमार चंद्रियावी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमरेंद्र शरण ने कहा कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि विज्ञापन की तिथि तक कोई प्रत्याशित रिक्ति नहीं थी, स्पष्टतः गलत है। उन्होंने कहा कि दिनांक 07/10/2001 के पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव और दिनांक 07/08/2012 के उच्च न्यायालय के हलफनामे से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय प्रत्याशित रिक्तियों के प्रति सचेत था। चूंकि उच्च न्यायालय प्रत्याशित रिक्तियों को ध्यान में रखना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर विज्ञापन में रिक्तियों की संख्या का उल्लेख नहीं किया। अधिवक्ता ने कहा कि बिहार राज्य और झारखंड राज्य के बीच कैडर विभाजन को अंतिम रूप नहीं दिया गया था, इसलिए सीधी भर्ती का कोटा और सीधी भर्ती की रिक्ति का पता नहीं लगाया जा सका। अधिवक्ता ने बताया कि नियम 2001 के नियम 21 के अनुसार चयन सूची अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध है। वकील ने कहा कि जब तक रिक्तियों की संख्या निश्चित नहीं हो जाती, तब तक यह नहीं माना जा सकता कि एडीजे के केवल 17 पदों के लिए परीक्षा प्रक्रिया शुरू हुई और 17 एडीजे की भर्ती के साथ ही भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो गई। वकील ने कहा कि अधीनस्थ सेवाओं से आने वाले प्रतिवादी बार से सीधी भर्ती की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते थे और इसलिए उनके पास उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं था। नरेंद्र चंदा एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, एन.के. चौहान एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य तथा जी.एस. लांबा एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य पर भरोसा करते हुए वकील ने कहा कि 2001 के नियम 5 के अनुसार कोटा किसी भी दिशा में विचलित हो सकता है। चूंकि झारखंड सरकार द्वारा उच्च न्यायालय की सिफारिश पर नियुक्तियां की गई हैं, इसलिए कोटा में छूट मानी जाती है। अधिवक्ता ने कहा कि यह बात उच्च न्यायालय द्वारा अपने हलफनामे में दिए गए इस कथन से समर्थित है कि दिनांक 23/5/2001 के विज्ञापन के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्त पदों की कुल संख्या 46 थी। अधिवक्ता ने बताया कि चूंकि शुरू में

श्री चंद्रियावी की नियुक्ति पांच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए नहीं थी, बल्कि नियुक्ति इस आशय की अतिरिक्त शर्त के साथ थी कि निरंतरता के संबंध में आगे आदेश पारित किया जाएगा, इसलिए वास्तविक अर्थों में नियुक्ति शुद्ध अस्थायी नियुक्ति नहीं थी। रुद्र कुमार सैन बनाम भारत संघ के मामले पर भरोसा करते हुए, यह आग्रह किया गया कि श्री चंद्रियावी को अनुच्छेद 233 के तहत उच्च न्यायालय की सिफारिश के बाद नियमित नियुक्ति के लिए संपूर्ण चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद नियुक्त किया गया था। उन्होंने सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की, जो यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि उन्हें विशेष उद्देश्य के लिए नियुक्त नहीं किया गया था। उनकी नियुक्ति तदर्थ आधार पर नहीं थी। अधिवक्ता ने कहा कि 2001 के नियम 3 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से विभिन्न श्रेणियों के वेतनमान के साथ-साथ सेवा की संवर्ग शक्ति और संरचना निर्दिष्ट नहीं की गई है। 20 पदोन्नत और 10 सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों की वरिष्ठता तय की गई है जो यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि श्री चंद्रियावी कैडर पद पर हैं। वकील ने कहा कि झारखंड राज्य का यह इरादा नहीं था कि केवल सत्र परीक्षण के लिए अदालतें बनाई जाएं, अगर ऐसा होता तो बंगाल आगरा और असम सिविल कोर्ट एक्ट, 1887 की धारा 13 और 14 का कोई उल्लेख नहीं होता, जो सिविल मामलों से निपटने के लिए एडीजे की शक्तियों से संबंधित है। अधिसूचना में "इस विषय पर जारी सभी पिछले आदेशों का अधिक्रमण" शब्द शामिल हैं। प्रासंगिक रूप से, सभी पिछले आदेश नियमित अदालतों के बारे में हैं। इसके अलावा, अधिसूचना में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि 89 पद एक्स-कैडर पद होंगे। वकील ने कहा कि सरकारी वकील उच्च न्यायिक सेवाओं में पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। वे अनुच्छेद 233 के तहत भर्ती के लिए पात्र हैं। इस दलील के समर्थन में उन्होंने सत्य नारायण सिंह बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं अन्य, सुषमा सूरी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य 15 और सतीश कुमार शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल 16 का हवाला दिया। वकील ने दलील दी कि 2001 के नियम 9 के अनुसार आयु की गणना परीक्षा के पिछले वर्ष की 21 जनवरी से की जानी चाहिए, हालांकि, परीक्षा के वर्ष का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। विज्ञापन में एक विशिष्ट तिथि का उल्लेख किया गया था जो 31/01/2001 है, इसलिए तिथि की गणना उसी तिथि से की जानी चाहिए। वकील ने दलील दी कि श्री चंद्रियावी का नाम चयन सूची के क्रमांक 22 पर है। विज्ञापन की तिथि को 46 रिक्तियां भरी जानी थीं। नियम 2001 के नियम 22 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय उपलब्ध रिक्तियों की संख्या या भरे जाने की आवश्यकता के आधार पर चयन सूची से एडीजे की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को नामों की सिफारिश करेगा। सभी 27 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए। सत्रह व्यक्तियों को स्थायी न्यायालयों में शामिल होने का निर्देश दिया गया, जबकि श्री चंद्रियावी को एडीजे के रूप में प्रभार संभालने का निर्देश दिया गया और अन्य नौ उम्मीदवारों के साथ पहली बार हजारीबाग में फास्ट ट्रैक कोर्ट में तैनात किया गया। नियुक्ति 2001 के नियम 4 के तहत की गई थी। वकील ने बताया कि इन 10 शेष उम्मीदवारों को एफटीसी में शुरू में नियुक्त करने के लिए सरकार द्वारा दिनांक 02/02/2002 की अधिसूचना जारी की गई थी। वकील ने प्रस्तुत किया कि श्री चंद्रियावी ने लिखित परीक्षा दी और पहली सूची में उन्हें साक्षात्कार के

लिए बुलाया गया। उन्हें चयनित किया गया और एडीजे के रूप में नियुक्ति की पेशकश की गई और एफटीसी न्यायाधीश के रूप में पोस्टिंग दी गई। उन्होंने 9 साल की समर्पित और बेदाग सेवा दी है। इन परिस्थितियों में उनकी सेवाएं नियमित किये जाने योग्य हैं।

14. कुछ अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान वकील श्री टी.एन. सिंह ने दलील दी कि रिट याचिका की सुनवाई और स्थिरता के संबंध में प्रारंभिक मुद्दों पर उचित निर्णय लिए बिना ही अपीलकर्ताओं की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका 7 वर्षों की देरी और विलंब के कारण रोक दी गई थी और इस तरह रिट याचिकाकर्ता विलंबित चरण में अपीलकर्ताओं के चयन को चुनौती देने के पात्र नहीं थे। यह दलील दी गई कि अपीलकर्ताओं की नियुक्तियां उच्च न्यायालय द्वारा 2001 के नियमों के अनुसार योग्यता के आधार पर की गई हैं। अपीलकर्ता न केवल योग्य थे बल्कि लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा योग्यता के आधार पर उनका चयन किया गया था। वे 2002 से एडीजे के रूप में काम कर रहे हैं और इस तरह उन्हें एडीजे के रूप में स्थायी किए जाने की वैध उम्मीद है। 89 रिक्तियों को भरने के लिए प्रत्याशित/परिकल्पित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्तियों की गई हैं। वकील ने प्रस्तुत किया कि एडीजे, एफटीसी के रूप में अपीलकर्ताओं द्वारा 8 वर्ष से अधिक की निरंतर सेवा के बाद उनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अभ्यास कर रहे थे। उनकी नियुक्तियां 2001 के नियमों के प्रावधानों के अनुसार बार से सीधी भर्ती के माध्यम से की गई हैं। उन्होंने अपनी कानूनी प्रैक्टिस छोड़ दी और न्यायिक सेवाओं में शामिल हो गए। उनकी नियुक्तियों को रद्द करना न्याय का उपहास का एक उदाहरण है क्योंकि अपीलकर्ताओं का पूरा करियर बर्बाद हो गया है। इसलिए, आरोपित फैसले को रद्द करना आवश्यक है। अपने प्रस्तुतियों के समर्थन में, वकील ने प्रेम सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य; हेमानी मल्होत्रा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय; उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम सत्य नारायण शिवहरे और अन्य; राखी रे और अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य; रविंदर कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य का हवाला दिया; भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बनाम कृष्ण कुमार व अन्य; तथा गिरजेश श्रीवास्तव व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य।

15. प्रतिवादी - झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 23/05/2001 के विज्ञापन के माध्यम से बार से भर्ती किए जाने वाले एडीजे के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। विज्ञापन के समय उपलब्ध सटीक रिक्तियों को अधिसूचित नहीं किया गया था क्योंकि बिहार राज्य और झारखंड राज्य के बीच कैडर विभाजन को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और नए पदों का सृजन किया जा रहा था। हालाँकि, विज्ञापन की तिथि पर, बार से नियमित नियुक्ति के लिए 13 स्पष्ट रिक्तियाँ मौजूद थीं और राज्य सरकार को सिफारिश की तिथि यानी 18/10/2001 को, बार से सीधे नियमित नियुक्ति के लिए 17 स्पष्ट रिक्तियाँ मौजूद थीं। बेशक, अपीलकर्ताओं की नियुक्तियाँ विज्ञापन की तिथि यानी 23/05/2001 और/या चयन की अवधि के दौरान उपलब्ध रिक्तियों से परे की गई थीं। आरोपित निर्णय में यह सही माना गया है कि ये तदर्थ, अस्थायी, एक्स-कैडर नियुक्तियां 2001 के नियमों के दायरे से बाहर हैं क्योंकि

उक्त नियम केवल उच्चतर न्यायिक सेवा कैडर में नियमित नियुक्तियों से संबंधित हैं। अपीलकर्ताओं की नियुक्तियाँ एक्स-कैडर थीं और एक विशेष अवधि के लिए एफटीसी के लिए तदर्थ आधार पर की गई थीं। ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, केंद्र सरकार ने लंबे समय से लंबित मामलों के तेजी से निपटान के लिए 1734 अतिरिक्त अदालतें बनाई थीं, जिनमें से 89 पद झारखंड राज्य के लिए सृजित किए गए थे। 15/10/2001 के पत्र के माध्यम से, भारत सरकार के कानून मंत्री, श्री अरुण जेटली ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री वी.के. गुप्ता को सूचित किया था कि एफटीसी बनाने की आवश्यकता है। बिहार और झारखंड राज्य के विभाजन के बाद झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भारत सरकार के कानून मंत्री को इस तथ्य की ओर संकेत किया था और कानून मंत्री ने दिनांक 22/05/2001 के अपने पत्र के माध्यम से झारखंड उच्च न्यायालय के संबंध में लागू नियमों के अनुसार बार से नियुक्तियों करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। सब जज कैडर में केवल 70 अधिकारी उपलब्ध थे। सृजित एफटीसी की संख्या 89 थी और इसलिए एफटीसी को सेवा संवर्ग के तदर्थ पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जा सकता था। चूंकि झारखंड राज्य एफटीसी के संबंध में अन्य राज्यों से पीछे था और केंद्र सरकार से लगातार अनुरोध किया जा रहा था कि यथाशीघ्र एफटीसी की स्थापना की जाए और यदि बार से एफटीसी में नियुक्तियाँ करने के लिए नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाती, तो इसमें काफी समय लग जाता, इसलिए झारखंड उच्च न्यायालय ने उन अधिकारियों को मेरिट सूची से नियुक्त करने का निर्णय लिया, जो नियमित एडीजे की भर्ती के लिए परीक्षा में उपस्थित हुए थे। भर्ती परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण अधिकारियों के नामों की अनुशंसा के समय नियमित कैडर में केवल 17 रिक्तियाँ थीं और 25 अधिकारियों (वर्तमान 22 अपीलकर्ताओं सहित) के नामों की अनुशंसा एफटीसी में उनकी नियुक्ति के लिए की गई थी, जो कि एक्स-कैडर, तदर्थ पद था और अपीलकर्ताओं की नियुक्ति पद पर बने रहने के अधीन थी। अपीलकर्ताओं के पास कोई कानूनी या वैधानिक या निहित अधिकार नहीं है जिसे कानून द्वारा लागू किया जा सके और वे अपने नियुक्ति पत्र की शर्तों से बंधे हैं। बृज मोहन लाल-II में इस अदालत के निर्देश के अनुसार, झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य से 31 स्थायी एफटीसी बनाने और कैडर की संख्या में 10 प्रतिशत विस्तार करने का अनुरोध किया है। झारखंड उच्च न्यायालय बृज मोहन लाल-II में इस अदालत के फैसले और इन अपीलों में फैसले के आलोक में झारखंड राज्य द्वारा आवश्यक पदों/एफटीसी के सृजन के अधीन अपीलकर्ताओं के मामले पर नए सिरे से विचार कर सकता है।

16. झारखंड राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि झारखंड राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन केंद्र सरकार द्वारा परिकल्पित फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना के अनुसार किया गया था, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा धन आवंटित किया गया था। यह योजना पांच साल तक जारी रहनी थी। झारखंड राज्य ने उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर तदर्थ एडीजे, एफटीसी की नियुक्ति के लिए दिनांक 12/08/2002 को अधिसूचना जारी की। यह अनुशंसा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार देने वाले प्रतियोगी उम्मीदवारों की परस्पर योग्यता के मूल्यांकन पर आधारित थी। नियुक्तियाँ एफटीसी की अवधि के साथ-साथ थीं और नियुक्ति की तदर्थ प्रकृति को नियुक्ति की अधिसूचना में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया

था। नियुक्त व्यक्तियों को नियमित नियुक्ति का दावा करने या एफटीसी की अवधि से परे तदर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफटीसी के रूप में जारी रखने का कोई अधिकार नहीं था। बृज मोहन लाल के मामले पर भरोसा करते हुए यह प्रस्तुत किया गया है कि तदर्थ एडीजे, एफटीसी की नियुक्ति से संबंधित प्रासंगिक अधिसूचना से संकेत मिलता है कि एडीजे, एफटीसी की नियुक्तियां झारखंड सुपीरियर न्यायिक सेवा में नियुक्तियां नहीं थीं। बृज मोहन लाल-^I में, फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना और राज्य न्यायिक सेवा के तहत नियुक्तियों के बीच अंतर स्पष्ट रूप से बताया गया था। झारखंड सुपीरियर न्यायिक सेवा के सदस्यों पर लागू होने वाले नियम और विनियम, योजना के तहत एडीजे पर स्वतः लागू नहीं होते। बृज मोहन लाल-^I में प्रयुक्त शब्द "वरीयता" को एफटीसी योजना के समग्र संदर्भ में देखा जाना चाहिए और इसका अर्थ आरक्षण के समान पूर्ण रूप से वरीयता नहीं हो सकता। शब्द "वरीयता" अर्थ के विभिन्न रंगों में सक्षम है जो परिकल्पित चीजों की योजना के तहत इसके उपयोग के संदर्भ, उद्देश्य और उद्देश्य से रंग लेते हैं (सचिव ए.पी. लोक सेवा आयोग बनाम वाई.वी.वी.आर. श्रीनिवासुलु और अन्य)। एडीजे, एफटीसी की नियुक्ति झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस में रिक्त पद पर नहीं, बल्कि एक योजना के तहत अस्थायी पदों पर चयन की पद्धति का पालन करते हुए की जानी थी, जैसा कि सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस में सीधे भर्ती के रूप में बार के सदस्यों के चयन के लिए सामान्य रूप से किया जाता है और झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने अपने संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में उन उम्मीदवारों की सूची का उपयोग करने का निर्णय लिया, जिन्होंने लिखित परीक्षा दी थी और एफटीसी न्यायाधीशों के लिए साक्षात्कार में उपस्थित हुए थे। पूर्ण न्यायालय के उक्त निर्णय को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। प्रतिवादी 5 से 35 राज्य की न्यायिक सेवा में उप न्यायाधीश की श्रेणी के हैं। बृज मोहन लाल-^{II} के अनुसार, विचाराधीन रिक्तियां उन्हें नहीं मिल सकती हैं और इसलिए, वे अपीलकर्ताओं की नियुक्तियों की वैधता को चुनौती नहीं दे सकते हैं।

17. प्रतिवादी 5 से 35 की ओर से यह तर्क दिया गया है कि एफ.टी.सी. की स्थापना वर्ष 2000 में ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर की गई है, जिसमें श्री एन.सी. जैन की सिफारिश को स्वीकार किया गया था। सिफारिश यह थी कि केवल सेवानिवृत्त सत्र और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों को एफ.टी.सी. में 11 डी-हॉक आधार पर दो साल के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। बृज मोहन लाल-^I में इस अदालत का फैसला 06/05/2002 को आया, जिसके अनुसार बार के सदस्यों में से सीधी भर्ती वाले लोगों को तीसरी वरीयता दी जानी थी। इस मामले में, 0210212002 को यानी बृज मोहन लाल-^I के समक्ष, श्री एन.सी. जैन की सिफारिशों के विपरीत सीधी भर्ती द्वारा 10 व्यक्तियों की नियुक्तियां की गईं। दिनांक 12/08/2002 को, 15 प्रत्यक्ष भर्ती वाले व्यक्तियों को तदर्थ एडीजे, एफटीसी के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि बृज मोहन लाल-^I के आदेश का उल्लंघन है, क्योंकि पर्याप्त संख्या में पात्र सेवारत न्यायिक अधिकारी उपलब्ध थे और उनके मामले पर विचार किए बिना, प्रत्यक्ष भर्ती वाले व्यक्तियों की नियुक्तियां की गईं। उक्त नियुक्तियां इसलिए भी अवैध थीं, क्योंकि विज्ञापन एफटीसी के पद के लिए नहीं था, एफटीसी में कोई रिक्ति नहीं थी, विज्ञापन केवल नियमित संवर्ग के लिए था और नियमित प्रत्यक्ष एडीजे की नियुक्ति के बाद प्रक्रिया समाप्त हो गई। उक्त

विज्ञापन के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर एफटीसी में तदर्थ एडीजे की नियुक्ति अपने आप में अवैध थी। 12108/2002 को पंद्रह व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए कोई अधिसूचित चयन सूची नहीं थी। नियुक्त किए गए कुछ व्यक्ति लोक अभियोजक थे और इस तरह वे एडीजे (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जौहरी माफ) के रूप में नियुक्त होने के पात्र नहीं थे। नियुक्त किए गए कुछ व्यक्ति आयु मानदंड को पूरा नहीं करते थे (मलिक मजहर सुल्तान और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य)। प्रतिवादी 5 से 35 वर्ष की आयु के लोग मौद्रिक रूप से सीधे प्रभावित होते हैं। उनकी पदोन्नति के रास्ते भी नियुक्तियों से प्रभावित होते हैं। चूंकि अपीलकर्ताओं की प्रारंभिक नियुक्ति ही अवैध थी, इसलिए उन्हें बृज मोहन लाल-II का लाभ नहीं मिल सकता है। यदि बृज मोहन लाल-II के अनुसार कोई अतिरिक्त पद सृजित किए जाते हैं, तो 2001 के नियम 5 लागू होंगे और सृजित अतिरिक्त पदों में से 75% को पदोन्नत व्यक्तियों के कोटे से भरा जाना आवश्यक होगा। अन्यथा, यह पदोन्नतियों के लिए निर्धारित कोटा को बाधित करेगा। यह प्रस्तुत किया गया है कि विवादित आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी मामले में, यदि कोई समायोजन है, तो केवल 25% कोटा के विरुद्ध ही किया जा सकता है।

18. निजी प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हंसारिया ने अपीलकर्ताओं की नियुक्ति पर इसी तरह के आधार पर आपत्ति जताई है। उद्धृत आधारों के अलावा, उन्होंने कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जिन पदों पर न तो विज्ञापन दिया गया था और न ही विज्ञापन जारी होने की तिथि पर वे अस्तित्व में थे, उन पर नियुक्तियां ऐसे विज्ञापन के आधार पर तैयार चयन सूची से नहीं भरी जा सकतीं। प्रासंगिक रूप से, हालांकि विज्ञापन में रिक्तियों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है, उच्च न्यायालय ने अपने हलफनामे में कहा है कि विज्ञापन की तिथि पर एडीजे के केवल 17 पद उपलब्ध थे। एफटीसी न्यायाधीशों के पद 29/11/2001 को सृजित किए गए थे। 23/05/2001 के विज्ञापन की तिथि पर, उक्त पद उच्च न्यायालय द्वारा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने की प्रत्याशा में भी नहीं थे। 23/05/2001 का विज्ञापन और उसके अनुसार तैयार की गई चयन सूची, जिसे 2001 के नियमों के अनुसार विधिवत अधिसूचित किया गया था, का उपयोग एफटीसी न्यायाधीशों की भर्ती के लिए नहीं किया जा सकता था। चयन प्रक्रिया उन रिक्तियों को भरने के साथ समाप्त हो जाती है जिनके लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। किसी भी मामले में, चयन सूची में शामिल उम्मीदवारों को भरे जाने वाले पदों की संख्या से अधिक नियुक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। इस संबंध में, बिहार राज्य बनाम मदन मोहन राखी रे, उड़ीसा राज्य बनाम राजकिशोर नंदा, श्रीमती के. लक्ष्मी बनाम केरल राज्य, अरूप दास बनाम असम राज्य और सुरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य पर भरोसा किया गया।

19. हमने विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर गहनता से विचार किया है। रिकॉर्ड पर मौजूद विभिन्न हलफनामों, अधिवक्ताओं के मौखिक तर्कों और न्यायालय में दायर लिखित तर्कों से कुछ तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं। अपीलकर्ताओं की शिकायत और प्रतिवादियों के मामले की जांच करते समय उन्हें नोट करना उचित होगा।

20. 25/11/2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 पारित किया गया जिसके तहत बिहार राज्य से झारखंड राज्य बनाया गया। 15/01/2001 को तत्कालीन कानून मंत्री श्री जेटली ने ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर लंबित मामलों के तेजी से निपटारे के लिए 1734 अतिरिक्त न्यायालयों के सृजन की योजना के बारे में झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री गुप्ता को पत्र लिखा। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से योजना को प्रभावी और कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करने का अनुरोध किया ताकि न्यायालय 01/04/2001 से काम करना शुरू कर दें। 2/02/2001 को बिहार राज्य से झारखंड राज्य में 90 वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी की गई, जिनमें से 62 पदोन्नत और 28 सीधी भर्ती वाले थे। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के 23/02/2001 के नोट से ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुद्दे पर बहस हुई थी कि क्या सेवारत न्यायाधीशों को तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया जाना चाहिए या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों पर विचार किया जाना चाहिए। यह पाया गया कि झारखंड राज्य में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त नहीं है। 30/03/2001 को होने वाले मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में सभी मुद्दों पर चर्चा करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री गुप्ता ने 12/03/2001 को तत्कालीन विधि मंत्री श्री जेटली को पत्र लिखकर झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा एफटीसी के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करने में आ रही कठिनाइयों के बारे में बताया ताकि उन्हें 01/04/2001 से क्रियाशील बनाया जा सके। यह कहा गया कि बिहार और झारखंड दोनों राज्यों के बीच न्यायिक अधिकारियों का कैडर विभाजन उच्चतर न्यायिक सेवा से संबंधित न्यायिक अधिकारियों और उप न्यायाधीश के पद के कैडर विभाजन को छोड़कर पूरा नहीं हुआ है, जिसके लिए सरकार ने 22/02/2001 की अधिसूचना जारी की थी। यह कहा गया कि उप न्यायाधीशों और मुंसिफ के पद के न्यायिक अधिकारियों के संबंध में कैडर विभाजन अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है। इसके परिणामस्वरूप हाईकोर्ट रजिस्ट्री अपर्याप्त हो गई थी। पत्र में आगे कहा गया है कि एफटीसी के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति जिला/एडीजे में से की जाए या कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को तदर्थ पदोन्नति देकर की जाए, यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कानून मंत्री को आगे बताया गया कि झारखंड राज्य में केवल मुट्टी भर सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश/एडीजे ही रह रहे हैं और उनकी उम्र अधिक है। जहां तक कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को तदर्थ पदोन्नति देकर पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति का सवाल है, वह कैडर डिवीजन के प्रभावी होने और झारखंड कैडर के न्यायिक अधिकारियों के पदभार ग्रहण करने के बाद ही किया जा सकता है। इसके अलावा आवास की कमी और अन्य बुनियादी ढांचे की समस्याओं से भी अवगत कराया गया। कहा गया कि भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2001 द्वारा केवल अधिकारियों का आवंटन अंतिम रूप दिया गया था, न कि संख्या/पदों का। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का यह पत्र उच्च न्यायालय के समक्ष आने वाली कई वास्तविक कठिनाइयों और उनकी चिंता को दर्शाता है कि कानून मंत्रालय की इच्छा के अनुसार राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना को उन कठिनाइयों के कारण क्रियाशील नहीं बनाया जा सकता है। हमें उच्च न्यायालय के कार्यों को, जिनकी भारी आलोचना हुई है, इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में देखने की आवश्यकता है।

21. तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री गुप्ता को संबोधित दिनांक 22/05/2001 के पत्र द्वारा, केंद्रीय कानून मंत्री ने मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिनांक 22/02/2001 के पत्र में व्यक्त की गई कठिनाइयों पर विचार करते हुए उन्हें सूचित किया कि वे उच्च न्यायालय में लागू नियमों के अनुसार बार से एफटीसी में नियुक्तियाँ कर सकते हैं। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि एफटीसी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई नियम नहीं थे और 2001 के नियमों में संशोधन नहीं किया गया था ताकि एफटीसी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया जा सके।

22. दिनांक 23/05/2001 को उच्च न्यायालय ने एडीजे के पद के लिए रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया। विज्ञापन में रिक्तियों की संख्या नहीं बताई गई थी। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री ए. खोरी द्वारा दायर हलफनामे में झारखंड राज्य का रुख यह है कि विज्ञापन के समय एफटीसी में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं था क्योंकि उन अदालतों का निर्माण 29/11/2001 को हुआ था और विज्ञापन वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी के कैडर में नियमित नियुक्तियों तक ही सीमित था। उच्च न्यायालय की ओर से श्री नाथ, रजिस्ट्रार (प्रशासन) उच्च न्यायालय द्वारा पूरक हलफनामा दायर किया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि विज्ञापन के समय बिहार और झारखंड राज्य नए-नए विभाजित हुए थे और कैडर की संख्या को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। उच्च न्यायालय झारखंड कैडर में और अधिक अधिकारियों के आवंटन की प्रतीक्षा कर रहा था। नए पद भी सृजन की प्रक्रिया में थे और इसलिए विज्ञापन में रिक्तियों की सही संख्या नहीं बताई गई थी। तथापि, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विज्ञापन की तिथि पर बार से सीधे एडीजे की नियुक्ति के लिए 13 स्पष्ट रिक्तियाँ मौजूद थीं और जब 20/10/2001 को नामों की सिफारिश की गई, तो बार से सीधे नियमित एडीजे की नियुक्ति के लिए 17 स्पष्ट रिक्तियाँ थीं।

23. आयु मानदंड के संबंध में, विज्ञापन में उल्लेख किया गया था कि उम्मीदवार की आयु 31/01/2001 को 35 वर्ष से अधिक लेकिन 45 वर्ष से कम होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी गई थी। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत अधिवक्ता के रूप में नामांकन के उद्देश्य से आवश्यक योग्यता विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक थी। नामांकन के बाद वकील के रूप में बार में 7 वर्ष का अभ्यास आवश्यक अनुभव था। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, पूरी चयन प्रक्रिया की जाएगी और नियुक्तियों को 2001 के नियमों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाएगा। इस प्रकार, इस विज्ञापन की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि यह एडीजे के पदों को भरने के लिए एक विज्ञापन था; विज्ञापन में रिक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया था और नियुक्तियों को 2001 के नियमों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाना था। इस प्रकार, विज्ञापन एफटीसी न्यायाधीशों के लिए नहीं था और न ही हो सकता था। वास्तव में, एफटीसी जजों के पदों को सीधे एच भर्ती द्वारा भरने के लिए उच्च न्यायालय की प्रत्याशा में भी नहीं था क्योंकि उस समय ऐसे पद स्वीकृत नहीं थे। विज्ञापन में 2001 के नियमों का सही उल्लेख किया गया था क्योंकि वे सुपीरियर न्यायिक सेवा कैडर में नियमित नियुक्तियों से संबंधित हैं और विज्ञापन नियमित कैडर में एडीजे की नियुक्तियों के लिए था।

24. श्री नाथ, रजिस्ट्रार (प्रशासन) के हलफनामे से ऐसा प्रतीत होता है कि इस बीच 14/6/2001 को भारत सरकार के संयुक्त सचिव, एल एंड जे, डी. से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सचिव को फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना पर आवश्यक सामग्री अग्रेषित करने वाला पत्र प्राप्त हुआ था। राज्यवार ब्यौरे में झारखंड राज्य के खिलाफ 89 अतिरिक्त अदालतें दिखाई गई हैं। हालाँकि, पद स्वीकृत नहीं थे। हलफनामे में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का मामला यह है कि उस समय उप-न्यायाधीश संवर्ग में केवल 70 अधिकारी उपलब्ध थे और इस तरह एफटीसी को सेवा संवर्ग से तदर्थ पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जा सकता था। उच्च न्यायालय के इस रुख पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

25. 19/08/2001 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई जिसमें लगभग 4000 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। 20/09/2001 को मौखिक साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के योग्य सफल अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की गई। सूची में मेरिट सूची क्रमांक 134 तक के अभ्यर्थियों के नाम शामिल थे। इस संबंध में यह बताना आवश्यक है कि 2001 के नियम 21, जिसकी ओर अधिवक्ता ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, में अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार व्यवस्थित करने की बात कही गई है। नियम 21 में कहा गया है कि उक्त सूची में से उच्च न्यायालय एक चयन सूची तैयार करेगा तथा उसे विनियमों में निर्दिष्ट तरीके से विधिवत अधिसूचित करेगा तथा ऐसी चयन सूची अधिसूचित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी। नियम 22 में कहा गया है कि उक्त चयन सूची में से, उपलब्ध रिक्तियों की संख्या अथवा भरे जाने की आवश्यकता के आधार पर, उच्च न्यायालय सरकार को एडीजे के रूप में नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करेगा।

26. दिनांक 07/10/2001 को उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायालय बैठक के कार्यवृत्त से पता चलता है कि बैठक झारखंड सुपीरियर न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए 2001 के नियमों के अनुसार मौखिक परीक्षा के लिए अधिक उम्मीदवारों को बुलाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए आयोजित की गई थी। कार्यवृत्त में उल्लेख है कि पहले से चल रहे मौखिक परीक्षा के रुझानों पर विचार करने और भरी जाने वाली बड़ी संख्या में रिक्तियों को देखते हुए, अधिक उम्मीदवारों को शामिल करने के लिए उम्मीदवारों की सूची का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है ताकि सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों के इष्टतम स्तर को प्राप्त करने की दृष्टि से चयन प्रक्रिया के व्यापक स्पेक्ट्रम और दायरे को कवर किया जा सके। यह संकल्प लिया गया कि मेरिट सूची से अधिक उम्मीदवारों को बुलाया जाना आवश्यक है। इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया कि क्रमांक 135 से क्रमांक 217 तक के उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाए। (इस बिंदु तक क्रमांक 134 तक के उम्मीदवारों को बुलाया गया था)। रजिस्ट्रार जनरल को मौखिक परीक्षा की तिथियां तय करने का निर्देश दिया गया, जिसमें तीन मौकों पर उम्मीदवारों की सूची में बदलाव किया गया। पहला सत्र 14/10/2001 को आयोजित किया जाना था। शेष दो सत्र 15/10/2001 और 16/10/2001 को आयोजित किए जाने थे। क्रम संख्या 217 तक शेष उम्मीदवारों के मौखिक साक्षात्कार आयोजित किए गए।

27. इस बीच, 8/10/2001 को उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक पत्र लिखा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम

के तहत राज्य के विभाजन के समय, उच्च न्यायिक सेवा के 90 अधिकारियों को झारखंड उच्च न्यायिक संवर्ग में आवंटित किया गया था, जिनमें से 62 पदोन्नत और 28 सीधी भर्ती वाले थे। यह कहा गया कि 42 रिक्तियों को 67% और 33% के अनुपात में विभाजित किया जाएगा, यानी 28 पद पदोन्नत अधिकारियों के लिए और 14 पद सीधी भर्ती वाले अधिकारियों के लिए।

28. 18/10/2001 को, उच्च न्यायालय ने अपनी पूर्ण न्यायालय बैठक में 30 एफटीसी न्यायाधीशों के साथ शुरुआत करने का निर्णय लिया, जिनमें से 20 सेवा से और 10 2/3 और 1/3 के कोटे के अनुसार सीधी भर्ती से होंगे। इसके अलावा, इस तिथि तक पूरी चयन प्रक्रिया यानी प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा पूरी हो चुकी थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एफटीसी न्यायाधीशों के पद तभी सृजित किए गए थे जब झारखंड सरकार ने 29/11/2001 की अधिसूचना जारी की थी। इस प्रकार, जिस तिथि को 23/5/2001 का विज्ञापन जारी किया गया था, उस समय एफटीसी स्वीकृत भी नहीं थे और इसलिए वे उच्च न्यायालय की प्रत्याशा में भी नहीं थे। इस पर कोई बहस नहीं हो सकती।

29. दिनांक 20/10/2001 के पत्र द्वारा, उच्च न्यायालय ने 2/3 अनुपात रखते हुए एडीजे के पद पर पदोन्नति के लिए 20 उप-न्यायाधीशों की सिफारिश की। उच्च न्यायालय ने उस पत्र में कहा कि 89 निर्धारित एफटीसी में से उसने 30 एफटीसी बनाए हैं। यह स्पष्ट किया गया कि उनकी पदोन्नति तदर्थ आधार पर होगी और अगले आदेश तक एफटीसी की निरंतरता पर निर्भर करेगी और यह पदोन्नति एक्स-कैडर होगी। यह कहा गया कि उक्त 20 उप-न्यायाधीश अपनी नियुक्ति पर तदर्थ आधार पर सीधे भर्ती किए गए 10 लोगों से ऊपर रैंक करेंगे। हमने पहले ही नोट किया है कि उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (प्रशासन) श्री नाथ के हलफनामे में कहा गया है कि सिफारिश की तिथि को बार से सीधे नियमित एडीजे की नियुक्ति के लिए 17 स्पष्ट रिक्तियां थीं।

30. लिखित परीक्षा के पश्चात् दिनांक 23/5/2001 के विज्ञापन के अनुसरण में मौखिक साक्षात्कार आयोजित किए गए, अक्टूबर, 2001 में उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायिक सेवाओं के लिए 27 अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार की, जिसे नियम 2001 के नियम 21 के अनुसार विधिवत अधिसूचित किया गया, जिसका संदर्भ हम पहले ही दे चुके हैं।

31. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, 29/11/2001 को उसी तिथि की अधिसूचना के तहत राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से 5 वर्षों के लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के 89 एफ.टी.सी. का गठन किया। 14/12/2001 को 20 पदोन्नत अधिकारी, जिनके नाम उच्च न्यायालय द्वारा 20/10/2001 को अनुशंसित किए गए थे, को राज्य द्वारा एक्स कैडर अस्थायी पदों पर एफ.टी.सी. न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। 15/12/2001 को, 17 उम्मीदवार जिनके नाम मेरिट सूची के क्रमांक 1 से 17 तक पाए गए थे, उन्हें उच्च न्यायिक सेवा के नियमित कैडर में एडीजे के रूप में नियुक्त किया गया था। इन व्यक्तियों की नियुक्तियों में कोई गलती नहीं की जा सकती, क्योंकि शपथ पत्र पर यह कहा गया है कि 17 स्पष्ट रिक्तियां थीं।

32. तथापि, 02/02/2002 और 12/08/2002 को की गई नियुक्तियों पर गंभीर आपत्ति ली गई है और हमारा विचार है कि उक्त नियुक्तियों के विरुद्ध की गई आलोचना में दम है। 02/02/2002 को मेरिट सूची के क्रमांक 18 से 27 तक के 10 अभ्यर्थियों को एफ.टी.सी. न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री नाथ, रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय, झारखंड के शपथपत्र से पता चलता है कि 02/07/2002 को आयोजित पूर्ण न्यायालय की बैठक में, राज्य में पहले से कार्यरत 30 एफ.टी.सी. के अतिरिक्त एफ.टी.सी. की अध्यक्षता करने के लिए ए.डी.जे. के शेष 45 पदों को भरने का संकल्प लिया गया था। इनमें से तीस पद उप-न्यायाधीशों से पदोन्नति द्वारा और 15 पद नियमित जिला न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया के दौरान तैयार किए गए पैनल से सीधी भर्ती द्वारा होने थे। 12/08/2002 को, 15 व्यक्तियों को एक्स-कैडर पद पर तदर्थ आधार पर बार से एफटीसी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। इन 15 व्यक्तियों के नाम 23/05/2001 के विज्ञापन के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा तैयार की गई चयन सूची में जगह नहीं पाते हैं।

33. चूंकि 27 व्यक्तियों की चयन सूची 2001 के नियमों के अनुसार विधिवत अधिसूचित की गई थी, इसलिए क्रमांक 1 से 17 तक के अभ्यर्थियों को 15.12.2001 को नियमित एडीजे के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद चयन सूची समाप्त हो गई, क्योंकि उच्च न्यायालय की ओर से दायर हलफनामे के अनुसार, हालांकि विज्ञापन में रिक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया था, विज्ञापन की तिथि यानी 23/05/2001 को एडीजे के केवल 13 पद उपलब्ध थे और अनुशंसा की तिथि यानी 20/10/2001 को एडीजे के 17 पद उपलब्ध थे। 17 नियमित एडीजे की नियुक्ति पर, नियमित एडीजे की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया समाप्त हो गई। अप्रयुक्त चयन सूची का गलत तरीके से 10 एफटीसी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उपयोग किया गया। पुनः, असफल अभ्यर्थियों की सूची में से 15 व्यक्तियों को एफटीसी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उनके नाम चयन सूची में नहीं थे। पूरी प्रक्रिया अनियमित थी। राखी रे बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय और सुरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य में इस न्यायालय के विवादित निर्णय पर उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किया जाना उचित है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि 23/05/2001 को जब विज्ञापन जारी किया गया था, तब त्वरित न्यायालयों के लिए पद स्वीकृत नहीं थे। इसलिए, इन पदों पर विचार भी नहीं किया गया था। इन्हें उच्च न्यायालय द्वारा विचारित या प्रत्याशित रिक्तियां नहीं कहा जा सकता। निस्संदेह, विधि मंत्रालय और उच्च न्यायालय के बीच पत्राचार से संकेत मिलता है कि उच्च न्यायालय को त्वरित न्यायालयों के सृजन की आवश्यकता के बारे में सूचित किया गया था और झारखंड में त्वरित न्यायालय योजना लागू की जा सकती है, लेकिन जब तक त्वरित न्यायालयों के लिए पद स्वीकृत नहीं हो जाते, तब तक किसी प्रत्याशित रिक्तियों को ध्यान में रखने का कोई सवाल ही नहीं था। जब विज्ञापन विशिष्ट संख्या में पदों के लिए होता है, तो राज्य विज्ञापित पदों की संख्या से अधिक नियुक्तियां नहीं कर सकता। जब सभी विज्ञापित पद भर जाते हैं, तो चयन सूची समाप्त हो जाती है। राखी रे और कई अन्य मामलों में, जिनका संदर्भ देने की आवश्यकता नहीं है, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि विज्ञापित पदों की संख्या से अधिक नियुक्तियां भविष्य की रिक्तियों को भरने के समान होंगी और

कानून में ऐसा करना अनुचित है। इस तर्क में कोई दम नहीं है कि अपीलकर्ताओं को 2001 के नियम के नियम 4 (ए) के तहत नियुक्त किया गया था या वे इसके नियम 25 का लाभ उठा सकते हैं। 2001 के नियम और विनियम जो झारखंड सुपीरियर न्यायिक सेवा के लिए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना जैसी अस्थायी अवधि की योजना के तहत नियुक्त तदर्थ एडीजे पर लागू नहीं होते हैं। 2001 के नियमों को एफटीसी पर लागू करने के लिए संशोधित नहीं किया गया था। अपीलकर्ताओं को अस्थायी अवधि के लिए एक्स-कैडर पद पर नियुक्त किया गया था। यह उनके नियुक्ति पत्रों से स्पष्ट है। इसलिए उनकी नियुक्तियां 2001 के नियमों के तहत नहीं थीं। केवल इसलिए कि उन्हें लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा देनी पड़ी, उनकी नियुक्तियों को मौलिक नियुक्तियां नहीं कहा जा सकता है और न ही उनके द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति उनकी नियुक्तियों को मौलिक बना सकती है।

34. हालांकि, हम यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि उच्च न्यायालय का निर्णय, चाहे कितना भी अनुचित क्यों न हो, किसी भी तरह से दुर्भावना से प्रेरित है। हम पहले ही देख चुके हैं कि जब 14/06/2001 को उच्च न्यायालय को राज्य के विधि एवं न्याय विभाग से पत्र मिला था, जिसमें झारखंड राज्य के विरुद्ध 89 एफटीसी दिखाते हुए राज्यवार ब्यौरा दिया गया था, तो उप-न्यायाधीश संवर्ग से केवल 70 अधिकारी ही उपलब्ध थे और ऐसे में सेवा संवर्ग से तदर्थ पदोन्नति द्वारा एफटीसी को नहीं भरा जा सकता था। स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय का कहना है कि चूंकि झारखंड राज्य फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के मामले में पिछड़ रहा है और केंद्र सरकार से लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना जल्द से जल्द की जाए, इसलिए यह महसूस किया गया कि यदि बार से फास्ट ट्रैक कोर्ट में नियुक्ति के लिए नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाती, तो इसमें बहुत समय लग जाता और इसलिए नियमित एडीजे की भर्ती के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले मेरिट सूची के अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय संकल्प और मुख्य न्यायाधीश के विधि मंत्रालय के साथ पत्राचार से भी संकेत मिलता है कि झारखंड राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना को क्रियान्वित करने के लिए उच्च न्यायालय में कई कठिनाइयां थीं, जिनमें से प्रमुख थीं कैडर विभाजन पूरा नहीं होना और सेवा कैडर से अधिकारियों की अनुपलब्धता। इसलिए, हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम इस तर्क के समर्थन में हमारे समक्ष उद्धृत मामलों का उल्लेख करें कि उच्च न्यायालय ने टालमटोल और असंगत रुख अपनाया है। हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय विधि मंत्रालय की इच्छा का पालन करने का सद्भावपूर्वक प्रयास किया और इस तरह उसने अपनी सीमाएं लांघ दीं।

35. अंतिम विश्लेषण में हमारा मानना है कि 02/02/2002 और 12/08/2002 को की गई नियुक्तियां अनियमित हैं, सेवा कानून के अंतर्निहित स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए, कानून मंत्रालय द्वारा व्यक्त की गई इच्छा का अनुपालन करने और लंबित मामलों की समस्या से निपटने के लिए एफटीसी स्थापित करने की उत्सुकता में की गई हैं। हमारा यह निष्कर्ष बृज मोहन लाल-I और बृज मोहन लाल-II से समर्थन प्राप्त

करता है। बृज मोहन लाल-^{II} भी समस्या का संभावित समाधान प्रस्तुत करता है। हम जल्द ही इन निर्णयों पर विचार करेंगे।

36. याचिकाकर्ताओं की ओर से कई अन्य निर्णयों का हवाला दिया गया है। स्पष्ट रूप से उनमें से अधिकांश का इस मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है और उनमें से कुछ का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब बृज मोहन लाल-^{II} इस क्षेत्र में हैं। हालाँकि, हम उनका संक्षिप्त उल्लेख करेंगे, ताकि यह न कहा जाए कि हमने कुछ बिंदुओं को अनदेखा कर दिया है।

37. सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली एवं अन्य में, यह न्यायालय अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या रोजगार के अनुबंध में अनुचित खंड भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के तहत सार्वजनिक नीति के विपरीत होने के कारण शून्य है। हमारी राय में, यह मामला अपने स्वयं के तथ्यों पर आधारित है और इसका तत्काल मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है।

38. जहां तक ओ.पी. सिंह/ए; रुद्र कुमार सैन और गणेश राव पटनायक के निर्णयों का संबंध है, इन मामलों में यह न्यायालय विशिष्ट नियमों के तहत नियुक्त पदोन्नतियों और प्रत्यक्ष भर्ती के बीच वरिष्ठता के प्रश्न पर विचार कर रहा था। ये निर्णय उस मामले पर लागू नहीं हो सकते, जहां नियुक्तियां अस्थायी योजना में तदर्थ आधार पर की जाती हैं।

39. नसीम अहमद एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में, यह न्यायालय यू.पी. अधीनस्थ सिविल न्यायालय अवर अधिष्ठान नियम, 1955 में प्रतीक्षा सूची, चयन सूची और पैनल क्या है, इस पर विचार किया गया। यह माना गया कि प्रतीक्षा सूची रिक्तियों की विशिष्ट संख्या के लिए तैयार की गई चयन सूची नहीं है और प्रतीक्षा सूची तभी समाप्त होती है जब सभी विधिवत चयनित उम्मीदवारों को नियुक्तियाँ दी जाती हैं। यह मामला इस मामले में लागू नहीं होगा। एक बार जब यह माना जाता है कि अपीलकर्ताओं की नियुक्तियाँ तदर्थ, एक्स-कैडर थीं और 2001 के नियमों के अनुसार नहीं की गई थीं और उन्हें अस्थायी अवधि की योजना में बनाया गया था, तो नियमित एडीजे का चयन करते समय तैयार की गई प्रतीक्षा सूची का उपयोग एफटीसी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नहीं किया जा सकता है। इस मामले में, 17 एडीजे की नियुक्ति होने पर चयन सूची समाप्त हो गई और नियमित एडीजे के पद पर भर्ती के लिए तैयार की गई चयन सूची के व्यक्तियों को एफटीसी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

40. प्रेम सिंह बनाम स्टाफ ऑफ हरियाणा³⁶ में, इस न्यायालय ने माना कि स्पष्ट रिक्तियों और प्रत्याशित रिक्तियों के लिए भी मांग और विज्ञापन के माध्यम से चयन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, लेकिन भविष्य की रिक्तियों के लिए नहीं। हम पहले ही मान चुके हैं कि विज्ञापन की तिथि तक, एफटीसी स्वीकृत नहीं थे। इसलिए, कोई प्रत्याशित रिक्तियां नहीं थीं। प्रेम सिंह का इस मामले के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्हीं कारणों से, जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य बनाम संजीव कुमार और अन्य भी वर्तमान मामले पर लागू नहीं होते।

41. चूंकि हमने माना है कि नियुक्तियां 2001 के नियमों के तहत नहीं की गई थीं, इसलिए नियम 5 के अनुसार कोटा के विचलन या कोटा में छूट माने जाने पर उद्धृत मामले इस मामले पर लागू नहीं हो सकते। यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस मामले में एडीजे एफटीसी की नियुक्तियां अस्थायी अवधि की योजना में तदर्थ एक्स-कैडर आधार पर की गई थीं। तथ्य यह है कि उच्च न्यायालय ने नामों की सिफारिश की थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी नियुक्तियां अनियमित थीं।

42. देरी और लापरवाही पर तर्क दिए गए। यह सच है कि प्रतिवादी 5 से 35 की ओर से उच्च न्यायालय में जाने में कुछ देरी हुई है। एक संभावित स्पष्टीकरण दिया गया है। उनके अधिकार क्षेत्र को भी चुनौती दी गई है। संबंधित प्रश्न के महत्व को देखते हुए और बृजमोहन लाल-II में इस न्यायालय के आधिकारिक निर्णय को ध्यान में रखते हुए, हमने इस पहलू पर विचार किए बिना, पक्षों की शिकायतों की जांच की है।

43. बृज मोहन लाल-II में, इस न्यायालय ने पूरे मामले पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करने के बाद यह माना है कि एफटीसी एक्स-कैडर पद पर थे। हम अब तय स्थिति को फिर से नहीं खोल सकते। इसलिए, इस संबंध में उद्धृत कुछ निर्णयों पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, वे इस मामले में लागू नहीं होते। यह तर्क दिया गया कि कुछ सहायक लोक अभियोजकों को एफटीसी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। यह भी आग्रह किया गया कि आयु मानदंड का पालन नहीं किया गया था। हम उन दलीलों पर विचार करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं क्योंकि इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में, बृज मोहन लाल-II में, इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली में सुधार करने, संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और पूर्ण न्याय करने के लिए कुछ निर्देश दिए हैं। निर्देशों में से एक निर्देश अपीलकर्ताओं को उसमें निर्धारित तरीके से नियमित करने से संबंधित है। यह मानना असंभव है कि अपीलकर्ताओं का मामला उक्त निर्णय द्वारा शासित नहीं है।

44. वास्तव में, अपीलकर्ताओं ने एफटीसी न्यायाधीशों के रूप में अपनी दीर्घकालिक सेवाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने बार में अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी है। उनमें से कुछ की आयु समाप्त हो गई है। इस दलील के समर्थन में हमारे समक्ष कुछ निर्णयों का हवाला दिया गया है कि इन तथ्यों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है और उन्हें नियमित सेवाओं में शामिल किया जाना चाहिए। बृज मोहन लाल-II इस शिकायत पर विचार करता है। इसलिए, इस बिंदु पर उद्धृत मामलों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

45. हमने बार-बार बृज मोहन लाल-I और बृज मोहन लाल-II का उल्लेख किया है। अब यह देखना आवश्यक है कि वे क्या निर्धारित करते हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग ने लंबे समय से लंबित मामलों से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों में 1734 अदालतों की स्थापना के उद्देश्य से धन आवंटित किया। वित्त आयोग ने सुझाव दिया कि राज्य सीमित अवधि के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति पर विचार कर सकते हैं क्योंकि ये अदालतें इस अर्थ में तदर्थ अदालतें होंगी कि वे मौजूदा अदालतों का स्थायी जोड़ नहीं होंगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई थी। उक्त चुनौती पर इस न्यायालय ने बृज मोहन लाल-I में विचार किया। इस न्यायालय ने एफ.टी.सी. की

स्थापना और कामकाज के संबंध में कई निर्देश जारी किए। यह स्पष्ट किया गया कि नियुक्तियाँ करते समय, बार से सीधे भर्ती किए गए लोगों को तीसरी वरीयता दी जानी चाहिए। इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश महत्वपूर्ण हैं:

"4. इन न्यायालयों में सीधी नियुक्ति के लिए बार के सदस्यों को तीसरी वरीयता दी जाएगी। उन्हें अधिमानतः 35-45 वर्ष की आयु वर्ग में होना चाहिए, ताकि वे नियमित पदों पर बने रहने की आकांक्षा कर सकें, यदि फास्ट ट्रैक न्यायालय काम करना बंद कर देते हैं। सेवा में उनकी निरंतरता के प्रश्न की समीक्षा उनके प्रदर्शन के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर की जाएगी। यदि बाद में भर्ती होती है और फास्ट ट्रैक न्यायालयों में उनका प्रदर्शन संतोषजनक पाया जाता है, तो उन्हें नियमित रिक्तियों में शामिल किया जा सकता है। प्रारंभिक चयन के लिए, उच्च न्यायालय चयन के ऐसे तरीकों को अपनाएगा, जैसा कि आमतौर पर सुपीरियर/उच्च न्यायिक सेवाओं में सीधे भर्ती के रूप में बार के सदस्यों के चयन के लिए अपनाया जाता है।"

इस निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया कि एफटीसी को तदर्थ न्यायालय होना था।

46. फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना 31/03/2011 तक चालू थी। लेकिन उसके बाद भारत संघ ने 31/03/2011 से आगे फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना के वित्तपोषण को जारी न रखने का निर्णय लिया। कुछ राज्यों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना को जारी रखने का फैसला किया और कुछ राज्यों ने इसे जारी न रखने का फैसला किया। उसके बाद कई रिट याचिकाएँ दायर की गईं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रार्थना की गई कि फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना को आगे बढ़ाने और उस उद्देश्य के लिए आवश्यक धनराशि जारी करने के लिए प्रतिवादियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएँ। कुछ याचिकाकर्ता जो सीधे भर्ती हुए थे, उन्होंने नियमित कैडर में समाहित होने का दावा किया।

47. याचिकाओं में उठाए गए बिंदुओं पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने बृज मोहल लाल-II में फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना के इतिहास का पता लगाया। इस न्यायालय ने विभिन्न राज्यों द्वारा सीधी भर्ती के लिए जारी अधिसूचनाओं, विभिन्न राज्यों के प्रासंगिक नियमों और फास्ट ट्रैक कोर्ट में नियुक्ति के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उक्त पद अस्थायी थे और नियुक्त किए गए व्यक्तियों को इन पदों पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह देखा गया कि नियुक्तियाँ राज्य उच्च न्यायिक सेवाओं में नियमित नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों की तुलना में अलग नियमों के तहत शासित थीं। इस न्यायालय ने देखा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना के तहत याचिकाकर्ताओं को उक्त पदों पर नियुक्त करने वाली अधिसूचनाओं और उन्हें नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक नियमों का संचयी प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि वे अस्थायी थे और कुछ मामलों में, बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त होने वाली समयबद्ध नियुक्तियाँ भी थीं और इसलिए, इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि नियुक्त किए गए व्यक्ति उन पदों पर नियमित रूप से समाहित होने के हकदार थे। यह देखा गया कि जहां न तो पद स्वीकृत है और न ही यह स्थायी है और वास्तव में, पूरी व्यवस्था तदर्थ है या अनिश्चित अवधि के लिए है, यह नियुक्त व्यक्तियों के पक्ष में स्थायी कर्मचारियों के

समान कोई अधिकार और दायित्व नहीं बना सकता है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ को उद्धृत करना आवश्यक है:

"172. नियमित संवर्ग में आने वाली रिक्तियों के विरुद्ध याचिकाकर्ता नियुक्तियों की सेवा के नियमितीकरण और आमेलन के लिए प्रार्थना न केवल उड़ीसा राज्य के मामले में की गई है, बल्कि अन्य राज्यों में भी की गई है। सेवा में आमेलन एक अधिकार नहीं है। नियमितीकरण भी एक वैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है जो विभिन्न नियमों के तहत विभिन्न पदों पर नियुक्त व्यक्तियों द्वारा लागू किया जा सके। नियमितीकरण किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ ऐसे व्यक्तियों के वर्ग पर लागू प्रासंगिक नियमों पर निर्भर करेगा।

173. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, पहले के अवसरों पर भी, इस न्यायालय ने उन व्यक्तियों और कर्मचारियों के नियमितीकरण की राहत को अस्वीकार कर दिया है जिन्हें किसी विशेष योजना या परियोजना के विरुद्ध नियुक्त किया गया था। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से सिद्धांत कहा है कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में, अस्थायी, संविदात्मक या आकस्मिक दैनिक वेतन या तदर्थ कर्मचारियों का आमेलन, नियमितीकरण या स्थायी रूप से जारी रहना ऐसे सार्वजनिक रोजगार की संवैधानिक योजना के विरुद्ध होगा और अनुचित होगा। संबंधित पदों के लिए नियमित भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाना भी उचित नहीं होगा। [उमादेवी (3) 7 देखें]

174. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर हमारे लिए इस मुद्दे पर फिर से विचार-विमर्श करना आवश्यक नहीं है। यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता नियुक्त व्यक्तियों को संबंधित पदों पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ये पद स्वयं अस्थायी थे और समय बीतने के साथ समाप्त होने वाले थे। उनकी नियुक्ति के पत्रों और जिन नियमों के तहत उन्हें जारी किया गया था, उनके संदर्भ में यह स्पष्ट है कि ये याचिकाकर्ता नियमितीकरण या आमेलन के किसी भी अपरिवर्तनीय अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।"

48. भारत संघ द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना को बंद करने के निर्णय से उत्पन्न विचित्र स्थिति से निपटने के दौरान, इस न्यायालय ने पाया कि ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा आवंटित धन की सहायता से, राज्यों ने पहले ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए अतिरिक्त न्यायालय कक्ष स्थापित कर लिए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना को बंद करने का निर्णय लेने से पहले भारत संघ द्वारा प्रासंगिक पहलुओं पर विचार नहीं किया गया था, लेकिन चूंकि नीतिगत निर्णय पहले ही लिया जा चुका है और उसे प्रभावी किया जा चुका है, इसलिए इस न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह इसे रद्द करने के लिए इच्छुक नहीं है। हालाँकि, इस न्यायालय ने पाया कि तेरहवें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा था कि देश के विभिन्न न्यायालयों में 3 करोड़ मामले लंबित हैं और मामलों के निपटान में बहुत देरी हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप लोगों को भारी कठिनाई हो रही है। इस न्यायालय ने पाया कि यदि एफटीसी तदर्थ सीधी भर्ती वाले, जिन्होंने वर्षों में बहुत अधिक

न्यायिक अनुभव प्राप्त किया है, को नियमित किया जाता है और विभिन्न राज्यों में एडीजे के नियमित कैडर में शामिल किया जाता है, तो मामलों के लंबित रहने की समस्या को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इस न्यायालय ने पाया कि भारत संघ और राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना को 2010 तक और उसके बाद एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। भारत संघ ने अंततः 30/03/2011 से फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना को वित्तपोषित न करने का निर्णय लिया। उसके बाद भी, कई राज्यों ने 2012, 2013 और यहां तक कि 2016 तक नियुक्तियों को बरकरार रखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। इस न्यायालय ने पाया कि इन सभी कारकों का संचयी प्रभाव यह है कि याचिकाकर्ताओं को वैध उम्मीद है कि या तो उनकी सेवाएं जारी रहेंगी क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना को संबंधित राज्य में न्याय प्रशासन की एक स्थायी विशेषता बना दिया जाएगा या उन्हें नियमित कैडर में समाहित कर लिया जाएगा। हालांकि, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मात्र उम्मीद या समाहित किए जाने की वैध उम्मीद भी नियमितीकरण की राहत का दावा करने के लिए कार्रवाई का कारण नहीं हो सकती है, खासकर जब यह नियमों और नियुक्ति पत्रों के विपरीत हो। बार से सीधे एफटीसी जज के रूप में नियुक्त किए गए नियुक्तियों के दावे पर विचार करते हुए, उनकी सेवाओं के नियमितीकरण और नियमित कैडर में अवशोषण के लिए इस न्यायालय ने टिप्पणी की कि इन याचिकाकर्ताओं को नियमितीकरण/ अवशोषण की राहत उस तरीके से नहीं दी जा सकती, जिस तरह से उन्होंने प्रार्थना की है। उन्हें इस पद का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कोई लिखित प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की और केवल साक्षात्कार के आधार पर नियुक्त किए गए थे और इसलिए, अब उन्हें अपेक्षित परीक्षा से गुजरना होगा। यह स्पष्ट करते हुए कि इसका भारत संघ द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था, इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कुछ निर्देश दिए। हम उन निर्देशों को उद्धृत कर सकते हैं जो इस मामले से प्रासंगिक हैं।

"207.4. यह निर्देश दिया जाता है कि सभी राज्य अब से तदर्थ और अस्थायी आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना को जारी रखने का निर्णय नहीं लेंगे। राज्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना को समाप्त करने या राज्य में इसे एक स्थायी सुविधा के रूप में जारी रखने के संबंध में।

207.5. भारत संघ और राज्य सरकारें 13वें वित्त आयोग द्वारा आवंटित निधियों का पुनर्वितरण और उपयोग करेंगी और/या फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों के नियमितीकरण को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त निधियों के लिए प्रावधान करेंगी और/या इस निर्णय में निर्देशित अतिरिक्त न्यायालयों के निर्माण के लिए प्रावधान करेंगी।

207.8. हम निर्देश देते हैं कि इस निर्णय में निहित निर्देशों को पूरा करने के लिए और यदि आवश्यक हो, तो न्यायपालिका के लिए 13वें वित्त आयोग के तहत पहले से आवंटित निधियों का पुनर्वितरण करके केंद्र सरकार को निधि प्रदान करनी होगी। हम आगे निर्देश देते हैं कि मौजूदा

कैडर के अतिरिक्त 10% पदों के निर्माण के लिए, भार समान रूप से होगा। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा साझा की जाने वाली धनराशि तथा बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के धनराशि उपलब्ध कराई जाए, ताकि इस निर्णय में निर्देशित कार्यक्रम के अनुसार न्यायालयों की स्थापना की जा सके।"

49. जहां तक अपीलकर्ताओं जैसे व्यक्तियों का सवाल है, जिन्हें बार से सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया जाता है, इस न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे नियमित कैडर में नियुक्त होने के हकदार होंगे। इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश महत्वपूर्ण हैं:

"207.9. वे सभी व्यक्ति जिन्हें फास्ट ट्रैककोर्ट योजना के अंतर्गत फास्ट ट्रैककोर्ट की अध्यक्षता करने के लिए बार से सीधी भर्ती के माध्यम से न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, वे संबंधित राज्यों की उच्चतर न्यायिक सेवाओं के नियमित कैडर में केवल निम्नलिखित तरीके से नियुक्त होने के हकदार होंगे:

(ए) एफटीसी में सीधे भर्ती होने वाले व्यक्ति जो नियमितीकरण का विकल्प चुनते हैं, उन्हें अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के नियमित कैडर में अवशोषण के लिए उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा देनी होगी।

(बी) इसके बाद, उन्हें उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाली चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के अधीन किया जाएगा।

(सी) लिखित परीक्षा के लिए 150 अंक और साक्षात्कार के लिए 100 अंक होंगे। सामान्य उम्मीदवारों के लिए अर्हक अंक कुल 40% और एससी/एसटी/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 35% होंगे। परीक्षा और साक्षात्कार उच्चतर न्यायिक सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए राज्यों द्वारा अधिनियमित प्रासंगिक नियमों के अनुसार आयोजित किए जाएंगे।

(डी) प्रत्येक नियुक्त व्यक्ति एफटीसी में सेवा के प्रति वर्ष एक अंक का हकदार होगा, जो साक्षात्कार के अंकों का हिस्सा होगा।

(ई) यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह परीक्षा और साक्षात्कार संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जाना चाहिए कि इन सभी आवेदकों ने एफटीसी न्यायाधीशों के रूप में कई वर्ष बिताए हैं और कानून के अनुसार न्याय करके देश की सेवा की है। इस प्रकार, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार मॉड्यूल को इन मामलों के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए।

(एफ) जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और उपर्युक्त अनुसार समेकित प्रतिशत प्राप्त करते हैं, उन्हें राज्य के नियमित संवर्ग में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाएगा।

(जी) यदि किसी कारण से नियमित संवर्ग में रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं, तो हम राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं कि वे चयनित उम्मीदवारों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आवश्यक अतिरिक्त रिक्तियां सृजित करें।

(एच) सभी मौजूदा और/या पूर्व एफटीसी न्यायाधीश जिन्हें बार से सीधे नियुक्त किया गया था और जो नियमित नियुक्ति के लिए परीक्षा और साक्षात्कार देने के इच्छुक हैं, उन्हें आयु में छूट दी जाएगी। आवेदक की आयु निर्धारित आयु से अधिक होने के आधार पर कोई आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

207.10. बार के वे सदस्य जिन्हें अनुचित तरीके से नियुक्त किया गया है, लेकिन जिनकी सेवाएं संदिग्ध निष्ठा, असंतोषजनक कार्य के आधार पर समाप्त कर दी गई हैं या जिनके खिलाफ किसी अन्य आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, वे निर्णय के पैरा 207.9 में वर्णित लाभों के पात्र नहीं होंगे।

207.11. समय की मांग और सभी वादियों और देश के नागरिकों को निष्पक्ष और शीघ्र सुनवाई प्रदान करने के संवैधानिक जनादेश को ध्यान में रखते हुए, हम संबंधित राज्यों और केंद्र सरकार को निर्देश देते हैं कि वे आज से तीन महीने के भीतर राज्य के कुल नियमित कैडर का 10% अतिरिक्त पदों के रूप में सृजित करें और उसके तुरंत बाद उस राज्य के उच्च न्यायिक सेवा और न्यायिक सेवा नियमों के अनुसार ऐसी अतिरिक्त रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू करें।

50. निस्संदेह, अपीलकर्ताओं को किसी स्थायी पद पर नियुक्त नहीं किया गया था। उनकी नियुक्ति की अधिसूचना दिनांक 12/08/2002 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उन्हें तदर्थ आधार पर अस्थायी और एक्स-कैडर पदों पर नियुक्त किया गया था। उन्हें 2001 के नियमों के तहत नियुक्त नहीं किया गया था। उनकी नियुक्ति मामलों के त्वरित निपटान के लिए बनाई गई एक अस्थायी योजना में अस्थायी उद्देश्य के लिए की गई थी। इसलिए, उनका मामला स्पष्ट रूप से बृज मोहन लाल-II के अंतर्गत आता है। इसमें दिए गए निर्देश, विशेष रूप से पैराग्राफ 207.9 में निहित निर्देश जो हमने ऊपर उद्धृत किए हैं, स्पष्ट रूप से उन पर लागू होंगे। बृज मोहन लाल-II में, इस अदालत ने इस तर्क पर भी विचार किया कि सीधी भर्ती वाले लोगों ने सभी परीक्षाएँ दी थीं और इसलिए, उन्हें फिर से नहीं देना चाहिए। इस तर्क पर विचार करने के बाद, इस अदालत ने निर्देश दिया कि उन्हें लिखित परीक्षा देनी होगी और उनका साक्षात्कार भी होना चाहिए। इस स्तर पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से यह कथन दिया गया है कि झारखंड राज्य द्वारा आवश्यक पदों/एफटीसी के सृजन के अधीन, उच्च न्यायालय बृज मोहन लाल-II में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार अपीलकर्ताओं के मामले पर नए सिरे से विचार करेगा। उच्च न्यायालय ने इस मामले को राज्य सरकार के समक्ष भी उठाया है। झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (प्रशासन) श्री अम्बुज नाथ के हलफनामे से प्रासंगिक अंश उद्धृत किया जाना आवश्यक है।

"19. 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह 13वें वित्त आयोग की अवकाश अदालतों/शिफ्ट कोर्ट योजना के साथ सुपीरियर न्यायिक सेवा के संवर्ग में 31 वैकल्पिक न्यायालयों का गठन करे, क्योंकि भौगोलिक स्थिति और बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा अन्य परिस्थितियाँ मॉर्निंग/इवनिंग/शिफ्ट कोर्ट आयोजित करने के लिए अनुकूल नहीं थीं। हालाँकि, बी.एम. लाल मामले (ट्रिब्यूनल सिविल केस संख्या 22, 2001) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, झारखंड उच्च

न्यायालय ने 31 वैकल्पिक न्यायालयों के स्थान पर 31 स्थायी फास्ट ट्रैक न्यायालयों के निर्माण तथा दिनांक 19 अप्रैल, 2012 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय बी.एम. लाल मामले (ट्रिब्यूनल सिविल केस संख्या 22, 2001) के निर्देश के अनुसार संवर्ग की क्षमता में 10% विस्तार के लिए राज्य सरकार के समक्ष मामला उठाया है। 2001) को निर्देश के जवाब में लिखा गया।

51. झारखंड राज्य को अब बृज मोहन लाल-II में जारी निर्देशों का पालन करने के लिए कदम उठाने होंगे, अगर उसने अभी तक उनका पालन नहीं किया है। झारखंड राज्य और उच्च न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए तालमेल से काम करना होगा कि उच्च न्यायिक सेवा में नियमित कैडर में अपीलकर्ताओं की नियुक्ति के निर्देशों का बृज मोहन लाल-II में निर्धारित तरीके से सख्ती से पालन किया जाए।

52. हम प्रतिवादी प्रतिवादियों की इस शिकायत पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि यदि अपीलकर्ताओं को नियमित कैडर में शामिल किया जाता है तो उनके पदोन्नति के अवसर प्रभावित होंगे या उन्हें आर्थिक नुकसान होगा। अपीलकर्ताओं की नियुक्तियों को चुनौती देने के उनके अधिकार पर सवाल उठाया गया है। लेकिन, भले ही यह मान लिया जाए कि बृज मोहन लाल-II के मद्देनजर उनके पास अधिकार है, ऐसी शिकायतों पर विचार नहीं किया जा सकता। बृज मोहन लाल-II में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए हैं और निर्देश जारी करते समय, जाहिर है कि इस न्यायालय ने पूरे मुद्दे पर उसके उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया है। इसलिए, हम इस दलील को खारिज करते हैं। हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में हम इन अपीलों का निपटारा करते हैं और यह दर्ज करते हैं कि हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। हम झारखंड राज्य और झारखंड उच्च न्यायालय को निर्देश देते हैं कि वे इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर बृज मोहन लाल-II में निर्धारित तरीके से झारखंड राज्य में उच्च न्यायिक सेवा में नियमित संवर्ग में अपीलकर्ताओं को नियुक्त करने के निर्देशों का अनुपालन करें।

आर.पी.
गया।

अपील का निपटारा किया

(यह अनुवाद अधिवक्ता ज्ञान रंजन, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।)